

### अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.2 (ग) के संदर्भ में)

#### 1. राष्ट्रीय उर्वरकों लि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक संबंधित आर्थिक सहायताओं के दावे

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15					
अथशेष आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	अन्तिम शेष	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
871.22	3918.32	4789.54	724.10	1497.35	5362.81	6860.16	386.47	2333.82	5579.53	7913.35	135.58	3038.52	6534.21	9572.73	769.36	4537.66	6458.61	10996.27	664.24	4975.40	

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वार्टरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल. 2-4)	3194.22	4976.34	5443.95	5764.85	5794.37

संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक लिमि. को भुगतान की गयी उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावें

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3292.19	849.37	4526.34	1490.08	4874.83	2060.44	5035.07	2680.13	6020.87	3445.54

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखे 2014-15

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	2442.82	3036.26	2814.39	2354.94	2575.33
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	751.40	1940.08	2629.56	3409.91	3219.04

\*भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

2. उर्वरक एवं रसायन ट्रावणकोर लिमि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावे

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिले	आर्थिक सहायता दावे वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिले	अन्तिम शेष		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
445.11	1159.28	1604.39	270.14	370.51	1265.96	1636.47	379.04	511.95	906.69	1418.64	152.12	378.88	906.51	1285.39	268.32	508.36	568.87	1077.23	142.99	335.51

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वार्टरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल 2-4)	889.14	886.92	754.57	638.19	425.88

संघ सरकार द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक एवं ट्रावणकोर लिमि. को भुगतान की गयी उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावे

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1233.88	388.78	1124.52	308.26	1039.76	459.22	777.03	321.23	741.72	380.82

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	845.10	816.26	580.54	455.80	360.90
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	44.04	70.66	174.03	182.39	64.98

\*भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

3. मद्रास उर्वरक लिमि. द्वारा सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायता से संबंधित दावें

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	चौथे तिमाही मे प्रस्तुत बिल	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
63.29	1350.32	1413.61	477.05	130.11	1829.61	1959.72	380.32	140.26	1751.40	1891.66	386.57	223.90	2166.99	2390.89	499.90	1147.20	1267.91	2415.12	295.66	740.12

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वार्टरों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल 2-4)	873.27	1449.29	1364.83	1667.09	972.55

मद्रास उर्वरक लिमि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायता से संबंधित दावें

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1283.50	63.06	1819.46	129.88	1667.76	139.76	1243.69	178.64	1675.00	925.86

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	1220.44	1689.58	1528.00	1065.05	749.14
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	-347.17	-240.29	-163.17	602.04	223.41

\* भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमि. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत उर्वरक आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावे

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				
आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिलें	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिलें	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	चौथे तिमाही में प्रस्तुत बिलें	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	कुल	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिलें	अन्तिम शेष
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
7.00	652.37	659.37	171.81	70.49	672.83	743.32	169.51	2.51	666.41	668.92	160.08	41.03	635.14	676.17	161.53	107.92	636.99	744.91	77.45	736.87

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(क) वित्तीय वर्ष के तीन क्वाटर्नों के दावे (उपरोक्त तालिका के संबंधित वर्ष के कॉल 2-4)	480.56	503.32	506.33	491.61	559.54

संघ सरकार द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमि. को भुगतान की गयी पेट्रोलियम आर्थिक सहायता से संबंधित दावे

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
588.88	6.02	740.81	70.49	627.89	2.51	568.25	41.03	8.04	0.72

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखे 2014-15

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
(ख) वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि (संबंधित वर्ष के कॉल.1-2)	582.86	670.32	625.38	527.22	7.32
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले (क-ख)	-102.30	-167.00	-119.05	-35.61	552.22

\* भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता बिले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि से वर्ष के चौथे तिमाही के घटे हुए दावा द्वारा प्रचालित होगा।

नोट: बिलों के प्रक्रिया में सरकार को कम से कम तीन महीनों की आवश्यकता पड़ सकती है ऐसा मानते हुए इस सी.पी.एस.यू. द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत चौथे तिमाही के आर्थिक सहायता दावों पर विचार नहीं किया गया है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता दावों की राशि से, पूर्व वर्षों के दावों से संबंधित भुगतान की गयी राशि को शामिल नहीं किया गया है।

5. भारतीय खाद्य निगम द्वारा संघ सरकार को प्रस्तुत खाद्य आर्थिक सहायताओं से संबंधित दावे

(₹ करोड़ में)

2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				अन्तिम शेष
आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत बिले	कुल	आर्थिक सहायता दावे का ओ./बी.		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
9469.67	57453.90	66923.57	51254.70	15668.87	67693.86	83362.73	59935.95	23426.78	80306.14	103732.92	71980.00	31752.92	89410.45	121163.37	75529.97	45633.40	105016.12	150649.52	91995.35	58654.17

संघ सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को की गयी खाद्य आर्थिक सहायता से संबंधित दावे

2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी बिले	जिसकी बिलों पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
51254.70	5378.53	59935.95	2819.45	71980.00	23303.98	75529.97	9008.54	91995.35	30000.00

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा भुगतान की गई अर्थिक सहायता	51254.70	59935.95	71980.00	75529.97	91995.35
भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता (प्रस्तुत कुल आर्थिक सहायता दावे घटा भा.स. द्वारा अवमुक्त आर्थिक सहायता)	15668.87	23426.78	31752.92	45633.41	58654.17*

नोट: विद्यमान चलन के अनुसार, एफ.सी.आई. प्रत्येक तिमाही के लिए खाद्य आर्थिक सहायता हेतु उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं लोक वितरण पर अग्रिम दावे को अधिमान देता है। इस दावे के प्रति, उसी तिमाही के अंदर मंत्रालय, एफ.सी.आई. को कुछ भागों की प्रतिपूर्ति करता है।

\*2014-15 में, एफ.सी.आई. ने मंत्रालय को ₹1,05,016.12 करोड़ की राशि के कुल आर्थिक सहायता दावे को अधिमान दिया। इसके प्रति, भा.स. द्वारा ₹91,995.35 करोड़ की कुल राशि (पहले के वर्षों से संबंधित ₹30,000 करोड़ सहित) अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार, 2014-15 के लिए भुगतान नहीं की गयी राशि ₹43,020.77 करोड़ थी। 2014-15 के चौथे तिमाही के संबंध में, एफ.सी.आई. ने ₹29,321.15 करोड़ के आर्थिक सहायता दावा को अधिमान दिया जिसके प्रति चौथे तिमाही के अंदर एफ.सी.आई. द्वारा ₹10,000 करोड़ की राशि प्राप्त की गई, इस प्रकार ₹19,321.51 करोड़ की कमी हुई। चौथे तिमाही की भुगतान नहीं की गयी, इस प्रकार ₹19,321.15 करोड़ की कमी हुई। चौथे तिमाही की भुगतान नहीं की गयी राशि की कमी के बाद भी, 2014-15 के लिए भुगतान नहीं की गई आर्थिक सहायता ₹23,699.62 करोड़ हुई (₹43,020.77-₹19,321.15 करोड़), तथा इस राशि को वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान नहीं की गई आर्थिक सहायता के रूप में व्यवहार में लाया गया है।



**कुल भुगतान नहीं की गयी आर्थिक सहायता दावों से संबंधित विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सी.पी.एस.यू./निगम का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान केवल तीन तिमाहियों के बकाया दावे	2014-15 के दौरान प्रस्तुत किए गए चौथी तिमाही के दावे	2014-15 के अंत में बकाया दावों का अंतिम शेष	वर्ष 2014-15 के अंतिम तिमाही दावों के निकाले बिना पिछले वर्षों के बकाया दावों सहित किए दावे
	1	2	3	4	5(4-3)
1.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमि.	3,219.04	664.24	4,975.40	4,311.16
2.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावणकोर लिमि.	64.98	142.99	335.51	192.52
3.	मद्रास उर्वरक लिमि.	223.41	295.66	740.12	444.46
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमि.	552.22	77.45	736.87	659.42
5.	भारतीय खाद्य निगम	23,699.62	19,321.15	58,654.17	39,333.02
	<b>कुल</b>	<b>27,759.27</b>	<b>20,501.49</b>	<b>65,442.07</b>	<b>44,940.58</b>

नोट: वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में एफ.सी.आई. द्वारा ₹29321.15 करोड़ की सब्सिडी दावे की तुलना में एफ.सी.आई. को चौथी तिमाही में ₹10,000 करोड़ प्राप्त हुए, अतः चौथी तिमाही में ₹19,321.15 करोड़ की कमी थी।

**अनुबंध 2.1**  
(पैराग्राफ 2.2.2 के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व और पूंजीगत मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' थे 2014-15 में प्रचालित किया गया था तथा जिसमें मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च को दर्ज किया गया था

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष -800 के अंतर्गत 'अन्य व्यय'	मुख्य शीर्ष की तुलना में लघु शीर्ष में व्यय की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
1	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	823719	822401	99.84
2	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	62598638	60000000	95.85
3	2515- अन्य ग्रामीण विकास	6762659	4629229	68.45
4	2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2018258	1845761	91.45
5	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	2252918	2224176	98.72
6	3053- नागरिक उड्डयन	9766943	8201065	83.97
7	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	2067	2067	100.00
8	4803- कोयला एवं लिग्नाइट पर पूंजीगत परिव्यय	1761340	1761340	100.00
9	4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	324941	324941	100.00
10	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3769897	3724918	98.81
11	5453- विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	2742069 <sup>1</sup>	2925361	106.68
	<b>कुल</b>	<b>92823449</b>	<b>86461259</b>	

<sup>1</sup> अधिक भुगतान की वसूली को घटाने के कारण मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत दर्ज व्यय से कम है।

**अनुबंध 2.2**

(पैराग्राफ 2.2.3 के संदर्भ में)

**सरकारी लेखाओं के बाहर नियामकों/स्वायत्त निकायों की निधियां**

क्र.सं.	नियामकों/स्वायत्त निकायों के नाम	निवेशों/पूंजीगत निधि के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड	अधिशेष निधि/समग्र निधि	1,655.60
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	अधिशेष निधि	1,164.61
3.	पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण	पूंजीगत/समग्र निधि	15.78
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद्	चिन्हित/स्थायी निधि	357.08
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	स्वसंसाधन निवेश निधि	99.17
6.	भारतीय भेषजी परिषद्	चिन्हित/स्थायी निधि	27.10
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद्	निवेश (अन्य)	72.90
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	चिन्हित/स्थायी निधि	0.94
9.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-शास्त्र परिषद्	लोक जमा लेखे	3.73
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो	स्वसंसाधन निवेश निधि	60.00
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	बैंक में एफ.डी.आर. जनरल	830.00
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाते	381.75
13.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सावधि जमा	1,371.69
14.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण	बचत बैंक खाते	2.15
15.	भारतीय पुनर्वास परिषद्	सामान्य आरक्षित निधि	8.75
<b>कुल</b>			<b>6,051.25</b>

अनुबंध 2.3  
(पैराग्राफ 2.4.4 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियों/जमाओं को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
1.	8116.102-रेलवे राजस्व आरक्षित निधि-निवेश लेखे	आरक्षित	10,99	2001-02
2.	8116.XXX- रेलवे-शाखा लाईन कंपनियों को ऋण	आरक्षित	11,77	2001-02
3.	8116.105-दूरसंचार राजस्व आरक्षित निधि	आरक्षित	82,91,70	2001-02
4.	8118.105-दूरसंचार पूंजीगत आरक्षित निधि	आरक्षित	6	2001-02
5.	8121.119-स्टाफ हितलाभ निधि (रेलवे)-निवेश लेखे	आरक्षित	1,00	1999-2000
6.	8121.111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	आरक्षित	1,30,75	2006-07
7.	8223.101-अकाल सहायता निधि	आरक्षित	3	2008-09
8.	8229.101-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	आरक्षित	7	2002-03
9.	8229.102-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रायोजन हेतु विकास निधियां	आरक्षित	60	2002-03
10.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधि	आरक्षित	1,02	2002-03
11.	8229.117-राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिक कोर निधि	आरक्षित	3,25,13	2002-03
12.	8229.124 मादक व्यसन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि	आरक्षित	33120	2013-14
13.	8229.126 चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि	आरक्षित	62006	2010-11
14.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	आरक्षित	581,12,02	2008-09
15.	8230.102-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	आरक्षित	16,66,24	2007-08
16.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित	75,86	2008-09

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
17.	8235.104-रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि	आरक्षित	40,74,41	2003-04
18.	8235.105-सामान्य बीमा निधि	आरक्षित	2,61,32,01	2005-06
19.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधियाँ	आरक्षित	17,70,20	2008-09
20.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि निवेश लेखा	जमा	65,12	2001-02
21.	8342.107-संपदा शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	1,31	2008-09
22.	8342.110-दूरभाष आवेदन जमा	जमा	2,23,98,01	2005-06
23.	8342.111-टेलेक्स आवेदन जमा	जमा	7,93,06	2003-04
24.	8342.114-पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा पर जमा	जमा	1,69,47	2001-02
25.	8342.108-आयकर, भव्यकर, अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,21,61	2001-02
26.	8443.114-निर्यात व्यापार जमा	जमा	15,25,27	1988-89
27.	8443.127-पाकिस्तान में जा बसे ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेशनरों के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	21,07	1996-97
28.	8443.130-प्रोविडेंट समिति परिसमापन लेखे	जमा	13	2008-09
29.	8445.102-ब्रांच लाईन कम्पनियों के जमा	जमा	65	1992-93
30.	8448.103-छावनी निधियां	जमा	1	2000-01
31.	8448.109-पंचायत निकाय निधि	जमा	84	2008-09
32.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	जमा	52	1988-89
33.	8448-स्थानीय निधियों के जमा 120-अन्य निधियाँ	जमा	2,26	2004-05
34.	8449.104-खादान भविष्य निधियों के जमा	जमा	16,01	1988-89
35.	8449.106- भारत - अमेरिकी समझौता 1974 के अन्तर्गत लेखे	जमा	16	1991-92
36.	8449.107-आयकर, भव्यकर, ब्याज सहित अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,33,93	1991-92
37.	8449.108-ऋण से मुक्ति के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	32,97	2000-01

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार के लेखे 2014-15

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
38.	8449.113-तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास निधि	जमा	3,66,13	1999-2000
39.	8449.118-जापानी अनुदान सहायता प्रदत्त योजनाओं के लिए अग्रिम जमा	जमा	1,03,60	1995-96
40.	8450.101-पांडिचेरी का शेष	जमा	40,12,90	2008-09
41.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष	जमा	16,30,26	1988-89
42.	8450.104-अरुणाचल प्रदेश का शेष	जमा	56,82,51	1988-89
43.	8450.105-मिजोरम का शेष	जमा	1,24,41,38	1988-89
44.	8009.01.103-आई.सी.एस. भविष्य निधि	अन्य देयताएं	2,01	1999-2000
45.	8010.105-अन्य न्यास	अन्य देयताएं	19,23	1999-2000
46.	8010.102-अवध के स्वर्गीय राजा द्वारा दान	अन्य देयताएं	91,04	1992-93
47.	8011.102-पारिवारिक पेंशन निधि	अन्य देयताएं	6,10	2008-09
48.	8012.103-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूति	अन्य देयताएं	1,62,83,05	1988-89
<b>कुल</b>			<b>16,74,75,73</b>	

## अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.5.1-ग के संदर्भ में)

विदेश में किए गए क्रयों आदि के लिए उचंत लेखे की बकाया राशि (2005 से)

(₹ हजार में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
2.	परिवार स्वास्थ्य सहायता महाराष्ट्र	1	218
3.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराइट्स फॉस्फेट एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल कोच कारखाना (कपूरथला)	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	1	13138
8.	रेल कॉयल स्प्रिंग	1	7111
9.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
10.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
11.	दूरसंचार विभाग	6	14737
12.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	39
13.	भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड	3	14257
14.	गृह मंत्रालय	1	2255
15.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3	3952
16.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय-तकनीकी	3	15292
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
18.	कोचीन पत्तन ट्रस्ट	1	3648
19.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
20.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
21.	कोल इंडिया लिमिटेड (प.बं)	3	231832
22.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
23.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
24.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
25.	आ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश	1	47476
26.	भारतीय हैलीकॉप्टर निगम	1	672356
27.	कृषको वर्षा कृषि तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
28.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	1	4560
29.	प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1	1132
30.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	1	14848

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार के लेखे 2014-15

31.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1	777
32.	एम ओ इ एफ-प.बं.	1	3691
33.	वित्त मंत्रालय	1	2505
34.	पर्यटन मंत्रालय	1	27634
35.	शहरी विकास मंत्रालय	1	66183
36.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान	1	44
37.	योजना आयोग	1	7875
	<b>कुल</b>	<b>54</b>	<b>2195680</b>



**अनुबंध 2.5**

(पैराग्राफ 2.5.2 के संदर्भ में)

**ऋण, जमा तथा प्रेषण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)	31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
<b>विवरण सं. 13</b>			
1.	8115.00.101	मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाईनें)	डेबिट 12300932 2009-10
2.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट 12745048 2009-10
3.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 1712901 2007-08
4.	8337.00.104	गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश लेखा	क्रेडिट 30819 2013-14
5.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमा	डेबिट 516173 2006-07
6.	8445.00.104	रेलवे जमा-न्यास ब्याज खाता	डेबिट 198265 2005-06
7.	8445.00.800	रेलवे जमा-अन्य जमा	डेबिट 12202288 2005-06
8.	8446.00.102	अन्य डाक जमा	डेबिट 902648 2014-15
9.	8446.00.800	डाक जमा-अन्य जमा	डेबिट 145787 2005-06
10.	8448.00.102	स्थानीय निधि जमा-निगम निधियों	डेबिट 3 2007-08
11.	8448.00.104	स्थानीय निधियों के जमा- भारतीय बीमा संघ की निधियों	डेबिट 291 1976-77 से पूर्व
12.	8451.00.101	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे एवं राहत निधियों	डेबिट 9316164 2005-06
13.	8451.00.102	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे राहत निधि निवेश खाता	क्रेडिट 9220607 2005-06
14.	8550.00.101	वन अग्रिम	क्रेडिट 19203 2013-14
15.	8670.00.111	चेक एवं बिल-लेखा एवं लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएँ	डेबिट 5612194 2011-12
<b>विवरण सं.-14</b>			
16	6002.00. 207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट 949425 2000-01
17	6002.00. 208	फ्रांस सरकार से ऋण	डेबिट 4616718 2000-01
18	6002.00. 223	स्विस संघीय सरकार और स्विस बैंक से ऋण	डेबिट 195491 2010-11
19	6002.00. 226	अंतरराष्ट्रीय विकास ऐजेंसी, सं.रा.अ. से ऋण	डेबिट 9317716 1995-96
20	6002.00. 227	पी.एल.-480 के अंतर्गत यू.एस.ए. सरकार से कर्जा परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट	डेबिट 5699575 1995-96
21	6002.00.504	आई बी आर डी से लिए गए कर्जे के प्रति ऋण समायोजन	डेबिट 3059051 2014-15

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार के लेखे 2014-15

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
22	8014.00.107	पी एल आई बाल नीति योजना	डेबिट	2725	2014-15
<b>विवरण सं.-14 क</b>					
23	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जारी की गई प्रतिभूतियाँ	डेबिट	404339	2010-11
24	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को जारी प्रतिभूतियाँ	डेबिट	215439	2002-03
25	6001.00.106	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र-विशेष धारक बंधपत्र 1991	डेबिट	510	2014-15
<b>विवरण सं.-15</b>					
26.	6202.01.203	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
27.	6215.02.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	20400	2001-02
28.	6216.80.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	2	2008-09
29.	6216.80.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	11977	2010-11
30.	6225-01-800	अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
31.	6245.01.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
32.	6245.02.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
33.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रेडिट	7705	1995-96
34.	6402.00.203	भूमि-पुर्नूद्धार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
35.	6404.00.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	4642331	2004-05
36.	6405.00.106	मत्स्यन नौकाओं का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2006-07
37.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	4004370	2003-04
38.	6515.00.102	समुदाय विकास	क्रेडिट	158	1986-87
39.	6801.00.201	जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट	880938	2004-05
40.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रेडिट	1361103	2005-06
41.	6851.00.102	लघु उद्योग	क्रेडिट	4664	2006-07
42.	7052.02.101	पोत-परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	क्रेडिट	2941305	2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
43.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	377537	2010-11
44.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रेडिट	25000	2011-12
45.	7601.01.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2012-13
46.	7601.03.413	सहकारिता-अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	4184	2012-13*
47.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	2123	2012-13*
48.	7601.03.576	पशु-पालन-मवेशी एवं भैंस विकास	क्रेडिट	11	2012-13*
49.	7601.03.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	29	2012-13*
50.	7601.03.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	139	2012-13*
51.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	71707	2012-13*
52.	7601.03.787	समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं-अन्य ऋण	क्रेडिट	1239	2012-13*
53.	7601.04.267	जल आपूर्ति-अन्य ऋण	क्रेडिट	149604	2012-13*
54.	7601.04.312	शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रेडिट	191427	2012-13*
55.	7601.04.360	अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण-अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13*
56.	7601.04.411	सहयोग सहकारी ऋण समितियाँ	क्रेडिट	32522	2012-13*
57.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियाँ	क्रेडिट	1686	2012-13*
58.	7601.04.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसले	क्रेडिट	131283	2012-13*
59.	7601.04.443	फसल कार्य-अन्य ऋण	क्रेडिट	336715	2012-13*
60.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	96229	2012-13*
61.	7601.04.579	पशु-पालन-भेड़ एवं ऊन विकास	क्रेडिट	175	2012-13*
62.	7601.04.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	36	2012-13*
63.	7601.04.726	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-हस्तकरघा उद्योग	क्रेडिट	6960	2012-13*
64.	7601.04.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	853	2012-13*
65.	7601.04.729	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-कॉयर उद्योग	क्रेडिट	354	2012-13*
66.	7601.04.747	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रेडिट	1088	2012-13*
67.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	4730	2012-13*

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार के लेखे 2014-15

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2015 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
68.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग-सड़क निर्माण कार्य	क्रेडिट	18359	2012-13*
69.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग - मशीनरी एवं उपकरण	क्रेडिट	106	2012-13*
70.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13*
71.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	1580	2012-13
72.	7602.04.412	सहदयोग सहकारी ऋण समितियाँ	क्रेडिट	14	2012-13
73.	7610.00.203	अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम	क्रेडिट	3910.98	2004-05
<b>विवरण सं.16</b>					
74.	8002.00.103	राजकोष बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
75.	8002.00.105	बचत प्रमाण पत्र-बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08

\*प्रतिकूल शेष का कारण 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप शेष राशियों को बड़े खाते में डालने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने में विलम्ब के कारण है।

## अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.5.5 के संदर्भ में)

### वार्षिक प्रोफार्मा लेखाओं की उपलब्धता

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
<b>कृषि मंत्रालय</b>		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2014-15
2.	शीत- सह हिमीकरण, संयन्त्र, कोच्ची	2009-10
<b>परमाणु ऊर्जा विभाग</b>		
3.	परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद	2010-11
4.	भारी जल बोर्ड, मुंबई	2010-11
<b>रक्षा मंत्रालय</b>		
5.	कैंटीन भंडारण विभाग	2013-14
<b>वित्त मंत्रालय</b>		
6.	सरकारी क्षारोद निर्माण कार्य, नीमच	2010-11
7.	सरकारी क्षारोद निर्माण कार्य, गाजीपुर	2009-10
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, राँची	2011-12
12.	एच एल एल लाईफ केयर लिमिटेड	2014-15
13.	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड	2014-15
<b>सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		
14.	फिल्म प्रभाग, मुंबई	2009-10
15.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2013-14
<b>विद्युत मंत्रालय</b>		
16.	विद्युत विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2012-13
17.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2009-10
<b>पोत परिवहन मंत्रालय</b>		
18.	दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय, नोएडा	2011-12
19.	अण्डमान फेरी सेवा	2004-05
20.	पोत परिवहन सेवाएं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
21.	समुद्री विभाग (डाकयार्ड) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2003-04
22.	पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1990-91
<b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>		
23.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम	2009-10
24.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2013-14
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>		
25.	सरकारी मुद्रणालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1979-80

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार के लेखे 2014-15

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
26.	प्रकाशन विभाग	2000-01
27.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली	2011-12
28.	भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली	2011-12
29.	भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2011-12
30.	भारत सरकार मुद्रणालय, निलोखेड़ी	2011-12
31.	भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद	2011-12
32.	भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला	2011-12
33.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर	2012-13
34.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, भुवनेश्वर	2007-08
35.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, मैसूर	2011-12
36.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोलकाता	2011-12
37.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी	2012-13
38.	भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक	2012-13
39.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़	2011-12
40.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, चंडीगढ़	2011-12
41.	भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	2007-08
42.	भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रगाची, हावड़ा	2011-12

## अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.5.6 के संदर्भ में)

### 2014-15 के दौरान बड़े खाते/स्थगित की गई हानियों तथा अप्राप्य की विवरणी

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं अप्राप्य बकार्यों को बड़े खाते में डालने के कारण							
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/जालसाजी आदि		अन्य कारण		वसूली का स्थान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	20	14.85	1	0.07
कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग	1	0.29	0	0	0	0	0	0
गृह मंत्रालय	0	0	0	0	35	3420.57	0	0
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	0	0	1	0.03	3	4.94	0	0
खनन मंत्रालय	0	0	0	0	3	0.29	0	0
डाक एवं दूर संचार विभाग	06	18.54	836	5030.15	42	9.79	27	18772.55
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	27	6.17	0	0
<b>कुल</b>	<b>7</b>	<b>18.83</b>	<b>837</b>	<b>5030.18</b>	<b>130</b>	<b>3456.61</b>	<b>28</b>	<b>18772.62</b>

**अनुबंध 3.1**  
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)  
**प्राधिकरण तथा संवितरण**

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
<b>क - सिविल</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	1050284.25	30852.80	<b>1081137.05</b>	964415.05	(-) 116722.00
II. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित)	138109.14	9486.25	<b>147595.39</b>	114108.38	(-) 33487.01
<b>योग</b>	<b>1188393.39</b>	<b>40339.05</b>	<b>1228732.44</b>	<b>1078523.43</b>	<b>(-) 150209.01</b>
<b>प्रभारित</b>					
III. राजस्व	519135.02	383.86	519518.88	491297.66	(-) 28221.22
IV. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4077250.69	73.31	4077324.00	3719862.57	(-) 357461.43
<b>योग</b>	<b>4596385.71</b>	<b>457.17</b>	<b>4596842.88</b>	<b>4211160.23</b>	<b>(-) 385682.65</b>
<b>कुल योग</b>	<b>5784779.10</b>	<b>40796.22</b>	<b>5825575.32</b>	<b>5289683.66</b>	<b>(-) 535891.66</b>
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			133960.20	109079.48	
<b>कुल निवल प्रावधान</b>			<b>5691615.12</b>		
<b>कुल निवल संवितरण</b>				<b>5180604.18</b>	

<b>ख - डाक</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	18141.35	344.66	<b>18486.01</b>	18556.42	(+) 70.41
II. पूंजीगत	518.30	0.01	<b>518.31</b>	170.89	(-) 347.42
<b>योग</b>	<b>18659.65</b>	<b>344.67</b>	<b>19004.32</b>	<b>18727.31</b>	<b>(-) 277.01</b>
<b>प्रभारित</b>					
III. राजस्व	0.20	3.64	<b>3.84</b>	0.14	(-) 3.70
IV. पूंजीगत	--	2.26	<b>2.26</b>	2.07	(-) 0.19
<b>योग</b>	<b>0.20</b>	<b>5.90</b>	<b>6.10</b>	<b>2.21</b>	<b>(-) 3.89</b>



कुल योग	18659.85	350.57	19010.42	18729.52	(-) 280.90
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			665.19	661.98	
कुल निवल प्रावधान			18345.23		
कुल निवल संवितरण				18067.54	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
<b>ग - रक्षा सेवाएं</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	151002.32	7936.31	158938.63	155167.76	(-) 3770.87
II. पूंजीगत	94257.00	0.01	94257.01	81741.90	(-) 12515.11
<b>कुल</b>	<b>245259.32</b>	<b>7936.32</b>	<b>253195.64</b>	<b>236909.66</b>	<b>(-) 16285.98</b>
<b>प्रभारित</b>					
III. राजस्व	74.45	399.22	473.67	339.48	(-) 134.19
IV. पूंजीगत	330.95	0.01	330.96	145.08	(-) 185.88
<b>योग</b>	<b>405.40</b>	<b>399.23</b>	<b>804.63</b>	<b>484.56</b>	<b>(-) 320.07</b>
<b>कुल योग</b>	<b>245664.72</b>	<b>8335.55</b>	<b>254000.27</b>	<b>237394.22</b>	<b>(-) 16606.05</b>
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			11425.75	10361.30	
कुल निवल प्रावधान			242574.52		
कुल निवल संवितरण				227032.92	

<b>घ -रेलवे</b>					
<b>दत्तमत</b>	293466.92	5809.82	299276.74	284864.29	(-) 14412.45
<b>प्रभारित</b>	261.62	61.66	323.28	268.92	(-) 54.36
<b>योग</b>	<b>293728.54</b>	<b>5871.48</b>	<b>299600.02</b>	<b>285133.21</b>	<b>(-) 14466.81</b>
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			99254.24	93994.81	
कुल निवल प्रावधान			200345.78		
कुल निवल संवितरण				191138.40	

योग

योग	दत्तमत	1745779.28	54429.86	1800209.14	1619024.69	(-) 181184.45
भा.सं.नि.	प्रभारित	4597052.93	923.96	4597976.89	4211915.92	(-) 386060.97
कुल योग भा.सं.नि.		6342832.21	55353.82	6398186.03	5830940.61	(-)567245.42
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				245305.38	214097.57	
विनियोग लेखे (भा.सं.नि.) के अनुसार कुल व्यय				6152880.65	5616843.04	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					0	
वित्त लेखे के अनुसार भा.सं.नि. से कुल संवितरण					5616843.04	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।

भा.सं.नि.: भारत की संचित निधि

**अनुबंध 3.2**  
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)  
**अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें**

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
<b>क - सिविल</b>						
दत्तमत (₹ करोड़ में )	126157.90	39680.42	9435.90	6193.41	(-) 116722.00	(-) 33487.01
अनुदानों की संख्या	93	64	1	1	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	28232.45	357461.43	11.23	0.0012	(-) 28221.22	(-) 357461.43
विनियोगों की संख्या	33	11	2	1	--	--
<b>ख - डाक</b>						
दत्तमत (₹ करोड़ में )	--	347.42	70.41	--	(+) 70.41	(-) 347.42
अनुदानों की संख्या	--	1	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	3.70	0.19	--	--	(-) 3.70	(-) 0.19
विनियोगों की संख्या	1	1	--	--	--	--
<b>ग - रक्षा सेवाएं</b>						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	3770.87	12515.11	--	--	(-) 3770.87	(-) 12515.11
अनुदानों की संख्या	5	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	134.19	185.88	0.0013	--	(-) 134.19	(-) 185.88
विनियोगों की संख्या	4	1	1	--	--	--
<b>घ - रेलवे</b>						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	9144.72	5757.42	456.56	33.13	(-) 8688.16	(-) 5724.29
अनुदानों की संख्या	13	2	2	1	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	26.21	28.83	0.68	--	(-) 25.53	(-) 28.83
विनियोगों की संख्या	7	3	3	--	--	--

**अनुबंध 3.3**

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

**सिविल मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों  
का वर्ष-वार समानुपात**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	वर्ष	प्राधिकरण			संवितरण				
		दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80
15.	2014-15	1228732	4596843	5825575	1078524	4211160	5289684	20	80

**अनुबंध 3.4**

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

**निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी  
(₹5 करोड़ और उससे अधिक)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>सिविल</b>				
<b>14 - दूरसंचार विभाग</b>				
1.	2071.01.101.01- सामान्य पेंशन	मू. सं. 3381.99 (+)662.54	4184.43	139.90
2.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	मू. सं. 695.70 (+)18.76	741.65	27.19
<b>20 - रक्षा मंत्रालय</b>				
3.	2052.00.092.02- रक्षा लेखा विभाग (डी.ए.डी.) प्रभारित	मू. सं. 0.20 0.40	7.49	6.89
<b>21 - रक्षा पेंशन</b>				
4.	2071.02.101.01 -थल सेना- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं. 43965.41 (-)798.28	52654.12	9486.99
5.	2071.02.102.03 - नौ सेना- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं. 1806.37 (-)26.92	2142.73	363.28
6.	2071.02.103. नौ सेना- अवकाश नकदीकरण	मू. सं. 210.59 (-)79.10	153.54	22.05
7.	2071.02.103.01 - वायु सेना - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. सं. 2905.91 (-)73.38	3417.24	584.71
8.	2071.02.103.03 - वायु सेना - अवकाश नकदीकरण	मू. सं. 244.02 (+)69.92	346.44	32.50
<b>30 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय</b>				
9.	5455.00.101.02-वायुमण्डलीय अवलोकन प्रणालियां नेटवर्क	मू. सं. 115.00 (-)88.00	43.54	16.54
<b>32 - विदेश मंत्रालय</b>				
10.	2061.00.101.01 - प्रबंधन तथा स्थापना	मू. सं. 1832.30 (+)159.60	2104.22	112.32
11.	2061.00.103.01 - विवेकाधीन व्यय	मू. सं. 1596.00 0.0034	1714.66	118.66

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी  
(₹5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रारधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
12.	3605.00.101.17-आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू. सं. 155.00	162.27	7.27
13.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान को सहायता	मू. सं. 676.00 (+)34.00	723.52	13.52
<b>35 - विनियोग- ब्याज भुगतान</b>				
14.	2049.01.122 से लघु बचतों के निवल संग्रहण के प्रति जारी विशेष भा.स. प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	मू. सं. 3108.37 (+)71.45	3273.14	93.32
15.	2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधि	मू. सं. 3692.16 (-)1247.64	2651.13	206.61
16.	2049.03.109.10 -भविष्य सेवानिवृत्ति उपदान निधि के विशेष जमा	मू. सं. 9068.00 (+)1550.00	10624.52	6.52
17.	2049.03.110.01 - भारत श्रेणी के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	मू. सं. 5.21 (-)3.45	12.39	10.63
18.	2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू. सं. 248.39 (-)68.07	196.24	15.92
19.	2049.05.105.01-रेलवे पेंशन निधि	मू. सं. 1.43 (+)25.82	43.40	16.15
20.	2049.05.105.04-रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	मू. सं. 2.56 (+)36.98	47.47	7.93
<b>38 - विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान</b>				
21.	6001.00.106.14- आय तथा धन का स्वैच्छिक प्रकटन 5-3/4% बंधपत्र 1985	मू. सं. 0.03	8.13	8.10
22.	6001.00.110-364 दिवसीय खजाना बिल	मू. सं. 136907.51 (+)48.75	143004.76	6048.50
23.	6002.00.213-अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	मू. सं. 8279.94 (-)355.26	7936.62	11.93
24.	6002.00.216- पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण	मू. सं. 4160.22 (-)15.87	4149.82	5.47

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी  
(₹5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>40 - पेंशन</b>				
25.	2071.01.104.01-सामान्य पेंशन	मू सं 2554.85 (-)-220.00	2389.34	54.49
<b>59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग</b>				
26.	2202.01.111.03-स्थापना तथा संबंधित व्यय	मू सं 37.20 (-)-34.41	12.70	9.91
<b>60 - स्कूली शिक्षा विभाग</b>				
27.	2202.05.102.13-भारतीय भाषा के प्रोत्साहन हेतु अनुदानें	मू सं 230.95 (-)-36.83	207.12	13.00
28.	2203.00.112.54-भारतीय विज्ञान संस्थान (भा.वि.सं.) तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (भा.वि.शि.अ.सं.) को सहायता	मू सं 884.98 (-)-66.74	823.66	5.43
<b>67 - खनन मंत्रालय</b>				
29.	2853.01.800.01-विभिन्न प्रक्रियाओं पर विविध मुख्य व्यय	मू सं 111.65 (-)-91.35	29.72	9.42
<b>77 - विद्युत मंत्रालय</b>				
30.	6801.00.190.07-भारतीय राष्ट्रीय थर्मल पॉवर निगम लि. को ऋण	मू सं Nil	7725.77	7725.77
<b>93 - सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>				
31.	3454.02.204.19-क्षमता विकास (सी.एस.ओ. का क्षमता विकास तथा सांस्थानिक विकास एवं क्षमता निर्माण)	मू सं 122.75 (-)-47.42	80.66	5.33
32.	3601.03.432.05-सांख्यिकीय सुदृढीकरण हेतु सहायता	मू सं 89.60 (-)-86.79	15.11	12.30
<b>106 - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय</b>				
33.	2711.01.800.30-नदी प्रबंधन गतिविधियां तथा सीमा नदियों से संबंधित निर्माण कार्य	मू 24.00	29.13	5.13

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी  
(₹5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>डाक सेवाएं</b>				
<b>13 - डाक विभाग</b>				
34.	3201.01.101.03-डाक प्रभाग	मू अ सं 405.74 18.11 (+)76.97	513.90	13.08
35.	3201.02.101.10-ग्रामीण डाक सेवा	मू अ सं 2700.00 4.00 (+)46.00	2879.44	129.44
36.	3201.02.102.01-डाक छँटाई	मू अ सं 1241.97 11.93 (-)168.34	1105.31	19.75
37.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू 80.00	94.14	14.14
38.	3201.05.053.01-ईमारत	मू सं 77.77 (+)2.86	89.51	8.88
39.	3201.07.104.01-उपदान	मू सं 681.60 (-)59.50	648.79	26.69
40.	5201.00.104.14-डाक व्यवसाय केन्द्र की स्थापना	मू सं 44.00 (-)14.99	39.89	10.88
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>23 - रक्षा सेवाएं-नौसेना</b>				
41.	2077.00.101-नौसेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू अ सं 3760.00 75.00 (+)142.00	4016.68	39.68
42.	2077.00.106 - मरम्मत एवं दुरुस्त (दत्तमत)	मू सं 511.07 (+)333.93	863.12	18.12
<b>24 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना</b>				
43.	2078.00.105 - परिवहन	मू सं 823.69 (-)69.57	760.81	6.69
<b>27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
44.	4076.01.101-वायुयान तथा हवाई इंजन- थल सेना (दत्तमत)	मू 2127.99	2165.81	37.82



निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी  
(₹5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
45.	4076.01.106-चल स्टोक- थल सेना (दत्तमत)	मू 275.07	378.21	103.14
46.	4076.01.112-राष्ट्रीय राईफल्स- थल सेना (दत्तमत)	मू 213.05	244.00	30.95
47.	4076.01.202 - निर्माण कार्य- थल सेना (प्रभारित)	मू 8.00	15.08	7.08
48.	4076.02.050 - भूमि- नौ सेना (दत्तमत)	मू 23.50	45.12	21.62
49.	4076.02.202 - निर्माण कार्य- नौ सेना (दत्तमत)	मू 580.81	644.30	63.49
50.	4076.02.204- नौसैनिक बेड़ा	मू 12576.06	13355.38	779.32
51.	4076.03.101 - वायुयान तथा हवाई इंजन- वायु सेना (दत्तमत)	मू 16271.43	22557.57	6286.14
52.	4076.03.202 - निर्माण कार्य- वायु सेना (दत्तमत)	मू 1415.84 अ 0.0050	1636.66	220.82
53.	4076.03.111- कार्य- अ. एवं वि. (प्रभारित)	मू 4.00	83.40	79.40
			<b>कुल</b>	<b>33120.81</b>

### अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक\* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
<b>सिविल</b>				
<b>राजस्व-दत्तमत</b>				
1.	01-कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग	22603.11	3114.80	14
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	6144.44	1304.41	21
3.	03-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2726.16	517.57	19
4.	05-नाभकीय विद्युत योजना विभाग	4223.49	499.24	12
5.	07-उर्वरक विभाग	77112.31	2020.45	03
6.	08-औषधीय विभाग	217.83	130.12	60
7.	11-वाणिज्य विभाग	5552.02	416.64	08
8.	14-दूरसंचार विभाग	14267.08	2344.93	16
9.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3734.12	281.51	08
10.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	123992.20	5028.52	04
11.	19-सांस्कृतिक मंत्रालय	2443.06	397.93	16
12.	20-रक्षा मंत्रालय	18270.67	103.74	01
13.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2151.80	598.80	28
14.	29-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	15377.50	3176.04	21
15.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1515.07	281.93	19
16.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2488.41	693.60	28
17.	32-विदेश मंत्रालय	11264.37	1402.54	12
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	16157.52	885.54	05
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	11745.25	3834.92	33
20.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	70757.00	9438.73	13
21.	40-पेंशन	25370.00	199.37	01
22.	41-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	3221.05	108.25	03
23.	42-राजस्व विभाग	11759.91	427.39	04
24.	43-प्रत्यक्ष कर	4342.89	249.64	06
25.	44-अप्रत्यक्ष कर	4884.02	719.78	15

\* बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौतों में शामिल था।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक\* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
26.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	785.89	189.15	24
27.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	36481.41	6505.28	18
28.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1252.09	577.72	46
29.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1017.70	106.92	11
30.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	1702.00	414.61	24
31.	51-भारी उद्योग विभाग	1139.56	171.44	15
32.	53-गृह मंत्रालय	1534.45	425.88	28
33.	55-पुलिस	51031.41	419.65	01
34.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2230.27	557.91	25
35.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	6008.68	3273.28	54
36.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	82695.14	14615.25	18
37.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	27656.08	4486.90	16
38.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	3287.18	158.45	05
39.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5783.82	1474.27	25
40.	64-विधि एवं न्याय	1992.88	241.96	12
41.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3693.51	932.51	25
42.	67-खनन मंत्रालय	1011.01	175.43	17
43.	68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	3614.06	553.55	15
44.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2762.39	539.29	20
45.	71-पंचायती राज मंत्रालय	7000.70	3610.14	52
46.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	63542.02	3231.84	05
47.	76-योजना मंत्रालय	1828.38	537.06	29
48.	77-विद्युत मंत्रालय	8228.16	3590.65	44
49.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	20103.39	1430.69	07
50.	84-ग्रामीण विकास विभाग	121746.83	13116.63	11
51.	85-भू-संसाधन विभाग	3759.13	1252.72	33
52.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3546.03	646.11	18
53.	87-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3671.17	292.47	08
54.	88-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1517.24	170.27	11
55.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	1258.70	253.37	20
56.	90-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5750.77	1013.30	18

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक\* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
57.	91-अशक्तता मामले विभाग	595.91	229.08	38
58.	92-अंतरिक्ष विभाग	3583.58	213.39	06
59.	93-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4905.79	840.74	17
60.	95-वस्त्र मंत्रालय	5547.74	1657.68	30
61.	96-पर्यटन मंत्रालय	1965.22	979.89	50
62.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय	517.40	172.31	33
63.	98-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3132.76	175.32	06
64.	99-चण्डीगढ़	3044.70	109.84	04
65.	101-दमन एवं दीव	1291.03	119.70	09
66.	103-शहरी विकास विभाग	8713.64	4553.51	52
67.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	15143.17	9728.38	64
68.	107-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	21193.91	2652.77	13
69.	108-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1768.14	624.00	35
<b>राजस्व - प्रभारित</b>				
70.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	449882.66	24784.40	06
71.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	64675.00	2861.68	04
72.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3913.63	476.04	12
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>				
73.	04-परमाणु ऊर्जा	4408.46	1024.20	23
74.	05-नाभकीय विद्युत योजना	674.00	282.50	42
75.	09-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	6545.10	730.15	11
76.	10-कोयला मंत्रालय	1647.00	598.17	36
77.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	105.75	105.50	100
78.	14-दूरसंचार विभाग	3798.01	2859.02	75
79.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	10678.26	192.89	02
80.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1620.72	439.57	27
81.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	353.50	145.49	41
82.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	187.06	118.85	64
83.	32-विदेश मंत्रालय	3466.01	1179.02	34
84.	33-आर्थिक कार्य विभाग	12515.86	2621.50	21
85.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	24795.03	13725.47	55

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक\* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
86.	42-राजस्व विभाग	106.01	105.80	100
87.	43-प्रत्यक्ष कर	752.01	682.14	91
88.	44-अप्रत्यक्ष कर	271.32	142.52	53
89.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1964.52	1092.16	56
90.	55-पुलिस	9863.51	3924.49	40
91.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	259.54	221.05	85
92.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2400.00	2400.00	100
93.	76-योजना मंत्रालय	786.49	269.48	34
94.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	37436.27	1665.45	04
95.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	516.09	181.20	35
96.	92-अंतरिक्ष विभाग	3656.58	1205.72	33
97.	98-अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	566.65	118.04	21
98.	103-शहरी विकास विभाग	8826.22	2137.48	24
99.	104-लोक निर्माण कार्य	832.33	274.80	33
100.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	228.63	132.20	58
<b>पूँजीगत - प्रभारित</b>				
101.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	13000.00	1102.68	08
102.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	4064025.03	356325.38	09
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>राजस्व - दत्तमत</b>				
103.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	100635.34	1496.71	01
104.	23-रक्षा सेवाएं- नौ सेना	14507.97	177.34	01
105.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	23127.57	495.88	02
106.	25-रक्षा आयुद्ध कारखाने	14308.66	1478.32	10
107.	26-रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास	6359.09	122.62	02
<b>राजस्व - प्रभारित</b>				
108.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	378.95	116.83	31
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>				
109.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	94257.01	12515.11	13
<b>पूँजीगत - प्रभारित</b>				
110.	27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	330.96	185.88	56

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक\* की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
<b>डाक सेवाएं</b>				
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>				
111.	13-डाक विभाग	518.31	347.42	67
<b>रेलवे</b>				
<b>राजस्व - दत्तमत</b>				
112.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	6472.70	366.92	06
113.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	10403.99	123.47	01
114.	5-चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	4920.70	138.01	03
115.	7-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	6340.96	314.94	05
116.	9-प्रचालन व्यय -यातायात	19713.11	638.65	03
117.	10-प्रचालन व्यय -ईंधन	35181.17	6155.86	17
118.	11-स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएं	5177.22	160.75	03
119.	12-विविध कार्य व्यय	5654.59	548.31	10
120.	13-भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	30142.70	506.94	02
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>				
121.	16-पूँजीगत	79272.06	5587.59	07
122.	16-रेलवे निधि, (मूल्यहास आरक्षित निधि, पूँजीगत निधि, विकास निधि)	17560.95	169.83	01
		<b>कुल</b>	<b>580970.12</b>	

### अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती  
विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
सिविल राजस्व (दत्तमत)					
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	2012-13	20466.80	2480.33	12
		2013-14	22299.40	3317.48	15
		2014-15	22603.11	3114.80	14
2.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2012-13	2338.60	197.69	08
		2013-14	2534.50	394.49	16
		2014-15	2726.16	517.57	19
3.	वाणिज्य विभाग	2012-13	4054.85	186.76	05
		2013-14	4441.85	129.38	03
		2014-15	5552.02	416.64	08
4.	दूरसंचार विभाग	2012-13	11587.39	3985.03	34
		2013-14	12629.14	2010.10	16
		2014-15	14267.08	2344.93	16
5.	यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2012-13	2877.54	1117.86	39
		2013-14	2872.50	849.55	30
		2014-15	3734.12	281.51	08
6.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2012-13	1750.33	236.34	14
		2013-14	1847.98	193.80	10
		2014-15	2151.80	598.80	28
7.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	2012-13	14005.25	925.97	07
		2013-14	15265.70	3324.67	22
		2014-15	15377.50	3176.04	21
8.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2012-13	1464.45	406.00	28
		2013-14	1492.54	334.54	22
		2014-15	1515.07	281.93	19
9.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2012-13	3012.34	1091.15	36
		2013-14	2815.66	715.93	25
		2014-15	2488.41	693.60	28
10.	आर्थिक कार्य विभाग	2012-13	9199.72	1587.03	17

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2013-14	10291.10	188.59	02
		2014-15	16157.52	885.54	05
11.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2012-13	8535.26	1270.16	15
		2013-14	11468.99	746.54	07
		2014-15	11745.25	3834.92	33
12.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2012-13	105786.55	21476.42	20
		2013-14	101945.69	17698.36	17
		2014-15	70757.00	9438.73	13
13.	राजस्व विभाग	2012-13	1167.05	371.53	32
		2013-14	10117.20	7536.54	74
		2014-15	11759.91	427.39	04
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2012-13	30685.78	5109.84	17
		2013-14	33012.35	5474.46	17
		2014-15	36481.41	6505.28	18
15.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग	2012-13	1161.23	406.04	35
		2013-14	1249.62	533.77	43
		2014-15	1252.09	577.72	46
16.	एड्स नियंत्रण विभाग	2012-13	1751.56	436.85	25
		2013-14	1782.01	309.03	17
		2014-15	1702.00	414.61	24
17.	भारी उद्योग विभाग	2012-13	558.87	184.78	33
		2013-14	930.97	382.86	41
		2014-15	1139.56	171.44	15
18.	गृह मंत्रालय	2012-13	2925.38	1345.01	46
		2013-14	2108.55	876.91	42
		2014-15	1534.45	425.88	28
19.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2012-13	1725.56	183.32	11
		2013-14	1969.15	128.76	07
		2014-15	2230.27	557.91	25
20.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2012-13	1163.01	226.46	19
		2013-14	1468.06	381.82	26
		2014-15	6008.68	3273.28	54
21.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2012-13	70559.80	4691.40	07
		2013-14	77130.05	10152.69	13
		2014-15	82695.14	14615.25	18
22.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2012-13	25379.08	4868.65	19



**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2013-14	26950.08	2417.46	09
		2014-15	27656.08	4486.90	16
23.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2012-13	4634.46	807.90	17
		2013-14	5254.97	849.56	16
		2014-15	5783.82	1474.27	25
24.	विधि एवं न्याय	2012-13	1515.60	331.98	22
		2013-14	1971.17	112.77	06
		2014-15	1992.88	241.96	12
25.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2012-13	3071.88	632.60	21
		2013-14	3210.95	660.26	21
		2014-15	3693.51	932.51	25
26.	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2012-13	3054.70	980.02	32
		2013-14	3410.99	384.25	11
		2014-15	3614.06	553.55	15
27.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2012-13	1456.48	293.76	20
		2013-14	2648.21	1214.03	46
		2014-15	2762.39	539.29	20
28.	पंचायती राज मंत्रालय	2012-13	5350.76	1413.49	26
		2013-14	7200.70	3738.62	52
		2014-15	7000.70	3610.14	52
29.	योजना मंत्रालय	2012-13	1661.23	441.81	27
		2013-14	7181.53	5798.92	81
		2014-15	1828.38	537.06	29
30.	विद्युत मंत्रालय	2012-13	10949.40	9200.23	84
		2013-14	8045.87	4309.22	54
		2014-15	8228.16	3590.65	44
31.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2012-13	22495.36	2836.25	13
		2013-14	17203.60	533.44	03
		2014-15	20103.39	1430.69	07
32.	ग्रामीण विकास विभाग	2012-13	129923.04	26266.79	20
		2013-14	113304.88	15817.28	14
		2014-15	121746.83	13116.63	11
33.	भू-संसाधन विभाग	2012-13	3208.20	214.66	07
		2013-14	5772.86	3276.92	57
		2014-15	3759.13	1252.72	33
34.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2012-13	2842.89	340.10	12

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2013-14	3372.22	776.36	23
		2014-15	3546.03	646.11	18
35.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2012-13	3475.10	529.44	15
		2013-14	3561.31	409.77	12
		2014-15	3671.17	292.47	08
36.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2012-13	1500.40	217.56	15
		2013-14	1502.07	210.75	14
		2014-15	1517.24	170.27	11
37.	पोत परिवहन मंत्रालय	2012-13	1403.45	566.08	40
		2013-14	1691.64	200.60	12
		2014-15	1258.70	253.37	20
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2012-13	5708.33	939.48	16
		2013-14	6420.37	1203.02	19
		2014-15	5750.77	1013.30	18
39.	अंतरिक्ष विभाग	2012-13	3575.94	761.47	21
		2013-14	3052.21	324.53	11
		2014-15	3583.58	213.39	06
40.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2012-13	4926.36	461.50	09
		2013-14	4949.36	109.59	02
		2014-15	4905.79	840.74	17
41.	वस्त्र मंत्रालय	2012-13	7775.70	3513.98	45
		2013-14	5519.98	1592.79	29
		2014-15	5547.74	1657.68	30
42.	पर्यटन मंत्रालय	2012-13	1279.98	347.72	27
		2013-14	1355.32	328.12	24
		2014-15	1965.22	979.89	50
43.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2012-13	410.21	127.80	31
		2013-14	443.74	146.39	33
		2014-15	517.40	172.31	33
44.	शहरी विकास विभाग	2012-13	1321.73	232.27	18
		2013-14	1281.32	166.59	13
		2014-15	8713.64	4553.51	52
45.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	2012-13	1937.32	966.23	50
		2013-14	1902.13	906.47	48
		2014-15	15143.17	9728.38	64
46.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2012-13	18584.03	1547.22	08

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2013-14	20640.02	2601.43	13
		2014-15	21193.91	2652.77	13
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>					
47.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2012-13	58357.46	13104.04	22
		2013-14	62134.40	8229.86	13
		2014-15	64675.00	2861.68	04
48.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2012-13	3627.80	905.69	25
		2013-14	3856.58	375.08	10
		2014-15	3913.63	476.04	12
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
49.	परमाणु ऊर्जा	2012-13	3822.32	1240.57	32
		2013-14	4111.36	1180.55	29
		2014-15	4408.46	1024.20	23
50.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2012-13	1874.56	276.91	15
		2013-14	1838.42	742.03	40
		2014-15	1620.72	439.57	27
51.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2012-13	349.00	121.25	35
		2013-14	353.01	128.56	36
		2014-15	353.50	145.49	41
52.	आर्थिक कार्य विभाग	2012-13	58961.13	52110.34	88
		2013-14	69431.73	63462.80	91
		2014-15	12515.86	2621.50	21
53.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2012-13	15902.02	1249.36	08
		2013-14	30900.40	14017.40	45
		2014-15	24795.03	13725.47	55
54.	प्रत्यक्ष कर	2012-13	809.29	384.78	48
		2013-14	590.00	144.00	24
		2014-15	752.01	682.14	91
55.	अप्रत्यक्ष कर	2012-13	119.21	109.26	92
		2013-14	149.26	126.95	85
		2014-15	271.32	142.52	53
56.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2012-13	2298.32	998.37	43
		2013-14	2862.69	1585.55	55
		2014-15	1964.52	1092.16	56
57.	पुलिस	2012-13	9333.60	2999.21	32
		2013-14	9106.00	2760.84	30

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	9863.51	3924.49	40
58.	योजना मंत्रालय	2012-13	515.80	256.69	50
		2013-14	900.00	549.23	61
		2014-15	786.49	269.48	34
59.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2012-13	24643.50	5610.90	23
		2013-14	32264.15	2950.74	09
		2014-15	37436.27	1665.45	04
60.	पोत परिवहन मंत्रालय	2012-13	583.09	217.55	37
		2013-14	658.42	279.27	42
		2014-15	516.09	181.20	35
61.	अंतरिक्ष विभाग	2012-13	3138.22	1096.57	35
		2013-14	3738.96	1297.91	35
		2014-15	3656.58	1205.72	33
62.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2012-13	739.25	269.91	37
		2013-14	671.82	272.19	41
		2014-15	566.65	118.04	21
63.	शहरी विकास विभाग	2012-13	6346.84	927.18	15
		2013-14	6945.08	863.04	12
		2014-15	8826.22	2137.48	24
<b>पूँजीगत (प्रभारित)</b>					
64.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2012-13	12000.00	1347.30	11
		2013-14	12000.00	1000.25	08
		2014-15	13000.00	1102.68	08
65.	विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	2012-13	3786074.35	359181.41	09
		2013-14	4014248.55	502957.23	13
		2014-15	4064025.03	356325.38	09
<b>डाक सेवाएं</b>					
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
66.	डाक विभाग	2012-13	615.77	470.18	76
		2013-14	433.31	165.01	38
		2014-15	518.31	347.42	67
<b>रक्षा सेवाएं</b>					
<b>राजस्व(दत्तमत)</b>					
67.	रक्षा सेवाएं- थल सेना	2012-13	79980.55	463.60	01
		2013-14	88599.71	879.63	01
		2014-15	100635.34	1496.71	01

**विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती  
विवरणी**

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
68.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2012-13	79526.99	9043.67	11
		2013-14	86685.31	7592.40	09
		2014-15	94257.01	12515.11	13
<b>रेलवे राजस्व (दत्तमत)</b>					
69.	निधियों का विनियोग-मूल्यहास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि, एवं ऋण सेवा निधि	2012-13	20025.75	8217.50	41
		2013-14	16249.85	4788.64	29
		2014-15	17560.95	169.83	01

**अनुबंध 3.7**

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

**मामले जहाँ बचत से अधिक राशियों का अभ्यर्पण किया गया**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभाग के अंतर्गत बचतें	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
<b>सिविल</b>				
<b>राजस्व -दत्तमत</b>				
1.	08- औषधीय विभाग	130.12	130.18	0.06
2.	10- कोयला मंत्रालय	76.35	76.38	0.03
3.	14- दूरसंचार विभाग	2344.93	2438.84	93.91
4.	67- खनन मंत्रालय	175.43	186.25	10.82
5.	71- पंचायती राज मंत्रालय	3610.14	3610.19	0.05
6.	93- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	840.74	857.59	16.85
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>				
7.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	118.85	134.67	15.82
8.	67-खनन मंत्रालय	60.73	60.85	0.12
9.	73-कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	34.02	34.74	0.72
10.	93- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	14.37	15.56	1.19
<b>रक्षा सेवाएं</b>				
<b>पूँजीगत -दत्तमत</b>				
11.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12515.11	12622.73	107.62
<b>डाक सेवाएं</b>				
<b>पूँजीगत -दत्तमत</b>				
12.	13-डाक विभाग	347.42	358.33	10.91

**अनुबंध 3.8**

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

**मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे**

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
<b>सिविल</b>						
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	3114.80	3045.14	3045.14	98	69.66
2.	2- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1304.41	1271.63	1271.63	97	32.78
3.	3- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	517.57	463.90	451.16	87	53.67
4.	5-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	499.24	318.10	318.10	64	181.14
5.	7-उर्वरक विभाग	2020.45	2020.44	2020.44	100	0.01
6.	8-औषधीय विभाग	130.12	130.18*	130.18	100	--
7.	11-वाणिज्य विभाग	416.64	342.01	342.01	82	74.63
8.	14- दूरसंचार विभाग	2344.93	2438.84*	2438.84	104	--
9.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	281.51	162.84	162.84	58	118.67
10.	17- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	5028.52	22.29	22.29	0.4	5006.23
11.	19-संस्कृति मंत्रालय	397.93	365.95	365.95	92	31.98
12.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	103.74	2.45	2.45	02	101.29
13.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	598.80	598.74	107.40	18	0.06
14.	29-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	3176.04	3162.37	3162.37	100	13.67
15.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	281.93	237.31	6.66	02	44.62
16.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	693.60	640.49	640.49	92	53.11
17.	32-विदेश मंत्रालय	1402.54	1332.80	1332.80	95	69.74
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	885.54	816.58	816.58	92	68.96

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
						(₹ करोड़ में)
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	3834.92	354.62	354.62	09	3480.30
20.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	9438.73	7849.60	7849.60	83	1589.13
21.	41-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	108.25	87.43	87.43	81	20.82
22.	42-राजस्व विभाग	427.39	398.18	398.18	93	29.21
23.	43-प्रत्यक्ष कर	249.64	235.92	235.92	95	13.72
24.	44-अप्रत्यक्ष कर	719.78	563.02	563.02	78	156.76
25.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	189.15	188.03	188.03	99	1.12
26.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6505.28	5991.68	5991.68	92	513.60
27.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	577.72	572.38	572.38	99	5.34
28.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	106.92	102.49	102.49	96	4.43
29.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	414.61	402.00	402.00	97	12.61
30.	51-भारी उद्योग विभाग	171.44	60.10	60.10	35	111.34
31.	53-गृह मंत्रालय	425.88	391.64	391.64	92	34.24
32.	55-पुलिस	419.65	153.38	153.38	37	266.27
33.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	557.91	526.97	526.97	94	30.94
34.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	3273.28	2741.27	2741.27	84	532.01
35.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	14615.25	14487.46	14487.46	99	127.79
36.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	4486.90	4427.86	4427.86	99	59.04
37.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	158.45	147.56	147.56	93	10.89
38.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1474.27	1297.55	1297.55	88	176.72



मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
						(₹ करोड़ में)
39.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	932.51	900.91	900.91	97	31.60
40.	67-खनन मंत्रालय	175.43	186.25*	186.25	106	--
41.	68-अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	553.55	550.09	550.09	99	3.46
42.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	539.29	526.67	526.67	98	12.62
43.	71-पंचायती राज मंत्रालय	3610.14	3610.19*	3610.19	100	--
44.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3231.84	3231.81	3231.81	100	0.03
45.	76-योजना मंत्रालय	537.06	526.33	526.33	98	10.73
46.	77-विद्युत मंत्रालय	3590.65	3590.43	3590.43	100	0.22
47.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1430.69	794.58	794.58	56	636.11
48.	84-ग्रामीण विकास विभाग	13116.63	13114.57	13114.57	100	2.06
49.	85-भू-संसाधन विभाग	1252.72	1252.67	1252.67	100	0.05
50.	87-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	292.47	288.96	2.24	01	3.51
51.	88-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	170.27	166.49	66.49	39	3.78
52.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	253.37	220.43	220.43	87	32.94
53.	90- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1013.30	1006.86	1006.86	99	6.44
54.	91-अशक्तता मामले विभाग	229.08	228.52	228.52	100	0.56
55.	92-अंतरिक्ष विभाग	213.39	209.68	209.68	98	3.71
56.	93-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	840.74	857.59*	857.59	102	--
57.	95-वस्त्र मंत्रालय	1657.68	1531.06	1531.06	92	126.62
58.	96-पर्यटन मंत्रालय	979.89	976.80	976.80	100	3.09
59.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय	172.31	168.09	168.09	98	4.22
60.	98-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	175.32	174.89	174.89	100	0.43

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
						(₹ करोड़ में)
61.	99-चंडीगढ़	109.84	109.54	109.54	100	0.30
62.	101-दमन एवं दीव	119.70	118.53	118.53	99	01
63.	103-शहरी विकास विभाग	4553.51	4471.13	4471.13	98	82.38
64.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	9728.38	9280.88	9280.88	95	447.50
65.	107-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2652.77	2642.99	2642.99	100	9.78
66.	108-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	624.00	621.18	621.18	100	2.82
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>						
67.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	24784.40	22954.72	22954.72	97	1829.68
68.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2861.68	2861.68	2861.68	100	--
69.	97-जनजातीय कार्य मंत्रालय	476.04	474.95	474.95	100	1.09
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>						
70.	4-परमाणु ऊर्जा	1024.20	989.73	989.73	97	34.47
71.	5-नाभकीय विद्युत योजना	282.50	282.50	282.50	100	--
72.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	730.15	723.10	723.10	99	7.05
73.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	105.50	101.84	101.84	97	3.66
74.	14- दूरसंचार विभाग	2859.02	2856.94	2856.94	100	2.08
75.	17- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	192.89	192.76	192.76	100	0.13
76.	20-रक्षा मंत्रालय	439.57	436.87	436.87	99	2.70
77.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	145.49	145.45	145.45	100	0.04
78.	32-विदेश मंत्रालय	1179.02	1176.14	1176.14	100	2.88
79.	33-आर्थिक कार्य विभाग	2621.50	1958.82	1958.82	75	662.68
80.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	13725.47	13725.47	13725.47	100	--
81.	42-राजस्व विभाग	105.80	105.66	105.66	100	0.14
82.	43-प्रत्यक्ष कर	682.14	676.24	676.24	99	5.90

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
						(₹ करोड़ में)
83.	44-अप्रत्यक्ष कर	142.52	132.65	132.65	93	9.87
84.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1092.16	1062.00	1062.00	97	30.16
85.	55-पुलिस	3924.49	3493.91	3493.91	89	430.58
86.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	221.05	215.69	215.69	98	5.36
87.	75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2400.00	2400.00	2400.00	100	--
88.	76-योजना मंत्रालय	269.48	268.62	268.62	100	0.86
89.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1665.45	1191.60	1191.60	72	473.85
90.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	181.20	178.42	178.42	98	2.78
91.	92-अंतरिक्ष विभाग	1205.72	1202.38	1202.38	100	3.34
92.	98-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	118.04	116.91	116.91	99	1.13
93.	103-शहरी विकास विभाग	2137.48	2071.30	2071.30	97	66.18
94.	104-लोक निर्माण कार्य	274.80	229.00	229.00	83	45.80
95.	106-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा नवीकरण मंत्रालय	132.20	120.62	120.62	91	11.58
<b>पूँजीगत (प्रभारित)</b>						
96.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1102.68	1102.68	1102.68	100	--
97.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	356325.38	336389.17	336389.17	94	19936.21

**अनुबंध 3.9**

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

**लघु/उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग जो अनुपयोग के कारण निष्फल थे  
(₹ 5 करोड़ से ज्यादा तथा उससे अधिक का पुनर्विनियोग)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
<b>सिविल</b>						
1.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.207.01-भा.ज.सं. से उत्पादन	मू.	111.00	18.00	69.18
2.		5401.00.800.32-तीस मीटर टेलीस्कोप (II ए/बी.ए.आर.सी.)	मू.	1.00	11.70	12.70
3.	20-रक्षा मंत्रालय	2055.00.104.02-ज. एवं क. लाईट इंफेन्ट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार	मू. अ.	43.31	13.27	18.23
4.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.106.24 - 8% राहत बंधपत्र, 2002	मू.	11.32	6.12	15.42
5.		6001.00.106.31 - 6.5% बचतें बंधपत्र, 2003 (गैर-कर योग्य)	मू.	11.98	5.11	12.87
6.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210.04.200.06-क्षेत्रीय लेप्रोसी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा	मू.	0.05	5.55	5.60
7.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2217.05.191.04-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	मू. अ.	36.50 0.02	20.58	36.70
8.	106-जल संसाधन मंत्रालय	3602.02.666.01-राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	अ.	0.01	72.00	72.01
<b>रक्षा सेवाएं</b>						
9.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	101 - थल सेना को वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	54433.94 1674.00	325.01	534.12
10.		104 - गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू.	4422.15	16.00	16.48

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
11.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	111 -निर्माण कार्य (दत्तमत)	मू. अ.	932.34 215.91	22.25	47.00
12.		101 - वायु सेना का वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	8962.69 480.10	8.49	13.70
13.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	110-भण्डार (दत्तमत)	मू. अ.	7899.64 1070.33	93.19	250.66
14.		111- निर्माण कार्य (दत्तमत)	मू. अ.	1945.67 375.00	33.84	230.92
15.	25-रक्षा आयुध कारखाने	054-उत्पादन (दत्तमत)	मू.	4989.38	10.62	39.11
16.	26-रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास	102-गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू.	2025.13	15.93	19.88
				<b>योग</b>	<b>677.66</b>	

**अनुबंध 3.10**

(पैराग्राफ 3.13 के संदर्भ में)

**लघु/उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग का परिणाम अंतिम अधिक व्यय में हुआ  
(₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक से ज्यादा का पुनर्विनियोग)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशी	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय
<b>सिविल</b>						
1.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.204.13-तैयार उत्पादन का कम मूल्य	मू.	1110.00	18.00	69.18
2.		2071.02.101.01- थल सेना-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू.	43965.41	798.28	9486.99
3.	21. रक्षा पेंशन	2071.02.102.01- नौ सेना-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू.	1806.37	26.92	363.28
4.		2071.02.103.01- वायु सेना-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू.	2905.91	73.38	584.72
5.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	2049.03.109.12-ई.पी.एफ./ ई.डी.एल.आई. के विशेष जमा	मू.	1250.82	22.80	117.84
6.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	2225.04.277.04- अल्पसंख्यकों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	मू.	527.40	27.87	499.53
7.	106-जल संसाधन मंत्रालय	2702.02.005.01-केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	मू.	136.35	18.00	26.74
				<b>कुल</b>	<b>985.25</b>	

**अनुबंध 3.11**

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

**लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान**

क्र.सं.	अनुदान/विनि योग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष	मूल	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			प्रावधान	(₹ करोड़ में)			
<b>सिविल</b>							
1.	14-दूरसंचार विभाग	3451.00.091.0 1-निदेशालय	--	89.65	--	89.65	उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के औचित्य का निर्धारण करने हेतु संसाधित किए जा रहे मामले अथवा मामले में अन्य कोई वैधिक उपचार का सहारा लेने के कारण।
2.		2408.01.102.0 2-भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य को खाद्य अनाज लेन-देन पर देय आर्थिक सहायता	42000.0 0	3000.00	41995.35	3004.65	बिलों के गैर-समायोजन के कारण
3.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2408.01.102.1 0-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भा.खा.नि. तथा अन्य को खाद्य अनाज लेन-देन पर देय आर्थिक सहायता	50000.0 0	2000.00	50000.00	2000.00	
4.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	2416.00.800.0 2-किसानों को लघु अवधि क्रेडिट प्रदान करने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता	6000.00	3476.71	6000.00	3476.71	प्रशासनिक कारणों के कारण लंबित दावों के गैर-निपटान के कारण।

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र.सं.	अनुदान/विनि योग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष	मूल	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			प्रावधान	(₹ करोड़ में)			
5.	42-राजस्व विभाग	3602.01.110.0 1-सी.एस.टी. के चरणबद्ध करने के कारण राजस्व हानि हेतु सं.शा.क्षे. को क्षतिपूर्ति	--	241.56	--	241.56	सं.शा.क्षे. सरकारों से सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
6.	51-भारी उद्योग विभाग	6860.60.600.0 2-भारतीय टायर निगम लिमिटेड को कर्जे	--	9.05	--	9.05	न्यायालय के आदेश के दृष्टिकोण से निगम को समाप्त करने के कारण
<b>रक्षा सेवाएं</b>							
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
7.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	800-अन्य व्यय	2464.68	16.00	2021.80	458.88	व्यय में कटौती के कारण राशन, ईंधन तेल एवं स्नेहक और सेवानिवृत्त अंशदायी स्वास्थ्य योजना जैसे अति आवश्यक मांग का मिलना।
8.		109-निरीक्षण संगठन	832.45	10.00	819.66	22.79	एयरो इंडिया ईवेन्टस एवं कठोर मापन का कार्यान्वयन के कारण व्यय का कम बुकिंग
<b>डाक सेवाएं राजस्व</b>							
<b>(दत्तमत)</b>							
9.	13-डाक विभाग	3201.02.101.0 4-प्रीमियम उत्पादन सेवाएं	159.53	9.33	144.56	24.30	प्रत्याशित से योजना की गई गतिविधियों के संबंध में संहिता ओपचारिकताओं को अंतिम रूप न देने के कारण
10.		3201.02.102.0 1-डाक वर्गीकरण	1241.97	11.93	1105.31	148.59	अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति के कारण जिसका परिणाम वेतन के अंतर्गत कम व्यय में हुआ



लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र.सं.	अनुदान/विनि योग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष	मूल	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			प्रावधान	(₹ करोड़ में)			
11.		3201.04.102.0 2-डाक लेखा कार्यालय परिमण्डल	330.33	10.24	320.47	20.10	यात्रा व्यय, वेतन आदि के अंतर्गत कम व्यय के कारण

**अनुबंध 3.12**

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

**पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹ 50 करोड़ तथा उससे अधिक)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
<b>सिविल</b>			
<b>अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>			
1.	2401.00.105.23-मृदा स्वास्थ्य कार्ड	100.00	100.00
2.	2401.00.789.28-दालों तथा सब्जियों हेतु मूल्य स्थिरीकरण निधि	73.00	73.00
3.	2401.00.800.43-राष्ट्रीय कृषि-तकनीक अवसंरचना	68.22	68.22
<b>अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग</b>			
4.	2415.02.150.04-राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	86.40	86.40
<b>अनुदान सं. 5-नाभिकीय विद्युत योजना</b>			
5.	2801.03.101.07-टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	306.53	306.53
<b>अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग</b>			
6.	4059.01.201.03-प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र, द्वारका	50.00	50.00
<b>अनुदान सं. 28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>			
7.	3601.05.101.07-उ.पू. सड़क निगम	200.00	200.00
8.	3601.05.101.08-उ.पू. राज्यों में जैविक कृषि	100.00	100.00
<b>अनुदान सं. 31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>			
9.	3453.03.103.11-राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	84.40	84.40
10.	3601.02.665.02-हरित भारत मिशन	51.00	51.00
<b>अनुदान सं. 32-विदेश मंत्रालय</b>			
11.	7605.00.055.01-नया क्रेडिट	158.00	158.00
<b>अनुदान सं. 33-आर्थिक कार्य विभाग</b>			
12.	3475.00.800.73-भारतीय एक्सिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	450.00	450.00
13.	5466.00.210.01-ब्राजील, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) नया विकास बैंक (एन.डी.बी.) को अंशदान	100.00	100.00
14.	5475.00.797.01-सामाजिक एवं अवसंरचना विकास पूंजीगत निधि को अंतरण	1050.91	1050.91
15.	5475.00.800.21-पी.पी.पी. कार्यान्वयन (3पी. भारत)	500.00	500.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹ 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
<b>अनुदान सं. 34-वित्तीय सेवाएं विभाग</b>			
16.	2416.00.800.01-राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदानें	50.00	50.00
17.	3465.01.190.08-राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (एन.सी.जी.टी.सी.) को सहायता	500.00	500.00
18.	4416.00.190.03-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पुर्नपूँजीकरण हेतु सरकारी अंश का अंशदान	50.00	50.00
19.	6865.01.190.19-राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) को विश्व बैंक सहायता	85.00	85.00
<b>अनुदान सं. 35-विनियोग-ब्याज भुगतान</b>			
20.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों की वापस खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	1000.00	1000.00
21.	2049.01.126-बाजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट-बैंक में धन का जमा	1628.81	1628.81
22.	2049.05.105.08-मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज	73.47	73.47
<b>अनुदान सं. 36-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण</b>			
23.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	1000.00
<b>अनुदान सं. 42-राजस्व विभाग</b>			
24.	4059.60.051.26-राजस्व भवन का निर्माण	100.00	100.00
<b>अनुदान सं. 47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>			
25.	2210.05.105.53-नए एम्स की स्थापना	50.00	50.00
26.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सी.जी.ई.आई.पी.एस.)	50.00	50.00
27.	3601.02.263.01-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	109.25	109.25
28.	3601.02.263.04-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	88.23	88.23
29.	3601.02.263.10-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	139.20	139.20
30.	3601.02.263.11-राज्य खाद्य नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	139.20	139.20
31.	4210.01.800.07-पर्यवेक्षक समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा का संस्थापन	80.00	80.00
<b>अनुदान सं. 48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)</b>			
32.	3601.02.228.03-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष फ्लैक्सी - पूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. सहित)	184.15	184.15

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹ 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
<b>अनुदान सं. 50-एड्स नियंत्रण विभाग</b>			
33.	4210.04.200.11-राष्ट्रीय एड्स तथा एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	83.00	83.00
<b>अनुदान सं. 51-भारी उद्योग विभाग</b>			
34.	2852.80.003.15-अ. एवं वि. परियोजनाएं-थर्मल पॉवर संयंत्रों हेतु उन्नत अति-विशिष्ट-महत्वपूर्ण (उ.अ.वि.म.) प्रौद्योगिकी का विकास	100.00	100.00
35.	6854.60.800.01-लोक क्षेत्र उपक्रमों का पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन	150.00	150.00
36.	6858.60.190.07-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा विभाजन योजना (वी.आर.एस. वी.एस.एस.) का कार्यान्वयन तथा सांविधिक देयों का भुगतान	250.00	250.00
<b>अनुदान सं. 55-पुलिस</b>			
37.	2055.00.800.15-निर्भया निधि परियोजना	67.00	67.00
38.	4055.00.211.04-ई.पी.सी. पद्धति के माध्यम से के.स.पु.ब. हेतु पुलिस आवास	178.00	178.00
39.	4055.00.800.23-निर्भया निधि परियोजना	80.00	80.00
<b>अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग</b>			
40.	2202.03.112.07-उच्चतर शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु संकाय	156.94	156.94
41.	2202.03.112.08-वास्तविक कक्षाओं तथा प्रभावशाली मुस्त आनलाईन पाठ्यक्रमों की स्थापना (एम.ओ.ओ.सी.)	69.75	69.75
42.	2203.00.102.04-केन्द्रीय हिमालयी विश्वविद्यालय (सी.यू.एच.एस.), उत्कर्ष केन्द्रों एवं राष्ट्रीय मानवता उत्कर्ष केन्द्र के सृजन सहित बहु-अनुशासन अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना	81.38	81.38
43.	2203.00.112.68-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.)/भारतीय प्रबंधन संस्थान (भा.प्र.सं.) की स्थापना	348.75	348.75
44.	2203.00.789.58-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.)/भारतीय प्रबंधन संस्थान (भा.प्र.सं.) की स्थापना	67.50	67.50
<b>अनुदान सं. 64-विधि एवं न्याय</b>			
45.	3602.04.891.01-न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदानें	60.00	60.00
<b>अनुदान सं. 75-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b>			
46.	2802.80.102.01-घरेलू एल.पी.जी. तथा पी.डी.एस. मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता	2930.00	2930.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹ 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
47.	4802.02.190.17-इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.)	2400.00	2400.00
<b>अनुदान सं. 77-विद्युत मंत्रालय</b>			
48.	2801.80.800.33-डी.आई.एस.सी.ओ.एम. की ऋण पुनर्संरचना हेतु वित्तीय सहायता	400.00	400.00
<b>अनुदान सं. 84-ग्रामीण विकास विभाग</b>			
49.	2515.00.800.23-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुखसुविधाओं का प्रावधान (पी.यू.आर.ए.)	50.00	50.00
50.	2515.00.800.29-गांव उधमिता 'आरम्भ' कार्यक्रम	90.00	90.00
<b>अनुदान सं. 90-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</b>			
51.	2225.01.789.10-हस्त सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु स्वयं रोजगार योजना	439.04	439.04
<b>अनुदान सं. 95-वस्त्र मंत्रालय</b>			
52.	2852.08.202.16-मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम से कपास का प्रापण	120.00	120.00
53.	2852.08.789.02-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	100.27	100.27
<b>अनुदान सं. 96-पर्यटन मंत्रालय</b>			
54.	3452.01.101.12-पर्यटन क्षेत्र	313.00	313.00
55.	3452.01.101.13-राष्ट्रीय तीर्थ स्थान सुंदरीकरण केन्द्र मिशन	62.00	62.00
<b>अनुदान सं. 98-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह</b>			
56.	3225.60.101.01-उपग्रह प्रेषानुकरों को किराए पर लेना	150.00	150.00
<b>अनुदान सं. 103-शहरी विकास विभाग</b>			
57.	2217.05.191.12-100 स्मार्ट शहरों तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के विकास हेतु मिशन के लिए एकल आम शीर्ष	58.00	58.00
58.	4217.02.800.01-राष्ट्रीय पूंजीगत क्षेत्रीय योजना बोर्ड निधि को अंशदान	80.00	80.00
59.	4217.60.190.10-लखनऊ मेट्रो	50.00	50.00
<b>अनुदान सं. 106 -जल संसाधन मंत्रालय</b>			
60.	2701.80.800.22-नदियों को आपस में जोड़ने हेतु वि.प.रि.	100.00	100.00
61.	3435.04.101.08-राष्ट्रीय गंगा योजना	1500.00	1500.00
62.	3435.04.101.09-नदी के सामने सुंदरीकरण हेतु घाट निर्माण कार्य	100.00	100.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹ 50 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
63.	3601.02.101.52-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	920.00	920.00
64.	3602.03.478.03-सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां तथा निर्माण कार्य	55.00	55.00
<b>अनुदान सं. 108-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय</b>			
65.	2204.00.104.53-ज. एवं क. में खेल सुविधाओं की वृद्धि	200.00	200.00
66.	2204.00.104.54-राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम	50.00	50.00
		<b>योग</b>	<b>20565.40</b>

**अनुबंध 3.13**

(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

**उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है**

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग</b>					
1.	2401.00.800.42-खाद्यानों एवं सब्जियों हेतु मूल्य स्थिरीकरण निधि	341.00	50.00	291.00	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने एवं योजना की देरी से स्वीकृति के कारण।
2.	3601.02.446.01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	9864.00	8363.88	1500.12	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
3.	3601.02.460.02-बागवानी समेकित विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	1261.24	1118.77	142.47	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण। योजना के कार्यान्वयन में अध्ययन तथा प्रगतिशील वृद्धि में विलम्ब के कारण।
4.	3601.02.789.12-फसल कृषि-वनस्पति फसलों की बागवानी	451.58	303.66	147.92	प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण। कार्य की धीमी गति तथा राज्य सरकार के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
<b>अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग</b>					
5.	2415.01.150.03-कृषि विशेषज्ञ नियुक्ति बोर्ड तथा कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय; बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन	530.30	284.11	246.19	रिक्त पदों को न भरने तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
6.	2415.01.150.07-कृषीय शिक्षा संस्थान, अनुसंधान तथा शिक्षा योजनाएं	554.13	423.39	130.74	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा</b>					
7.	3401.00.004.07-टाटा स्मारक केन्द्र	525.00	391.00	134.00	कार्य की धीमी प्रगति के कारण पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति निधियों की कम आवश्यकता के कारण।
8.	4861.60.203.44-तीव्र प्रतिकारी ईंधन चक्र सुविधा (ती.प्र.ई.च.सु.)	490.00	189.98	300.02	एस.एस. शीट के प्रापण के स्थगन, व्यावसायिक सेवाओं तथा मोटर वाहनों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
<b>अनुदान सं. 5-नाभकीय विद्युत योजना</b>					
9.	2801.03.800.04-कुडनकुलम में प्रतिवास विकास योजना	150.00	25.00	125.00	फील्ड स्तर पर कार्य की धीमी प्रगति के कारण
10.	4801.03.190.01-भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड	181.00	72.50	108.50	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
11.	6801.00.206.04-भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड को कर्ज	400.00	300.00	100.00	कर्ज एवं अग्रिमों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
<b>अनुदान सं. 7-उर्वरक विभाग</b>					
12.	2401.00.105.14-स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री हेतु भुगतान	13500.00	12000.00	1500.00	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
13.	2401.00.105.15-आयतित विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री हेतु भुगतान	11170.30	8667.30	2503.00	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा कम उर्वरकों के आयात के कारण।
<b>अनुदान सं. 9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>					
14.	5053.01.190.01-एयर इंडिया लिमिटेड (पहले एन.ए.सी.आई.एल.)	6500.00	5780.00	720.00	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा विभिन्न परियोजनाओं की देरी से एवं अस्वीकृति के कारण।
<b>अनुदान सं. 10-कोयला मंत्रालय</b>					
15.	4803.00.800.01-कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण	1647.00	1048.83	598.17	कोयला उत्पादन क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।



उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 11-वाणिज्य विभाग</b>					
16.	3453.00.107.04-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ब्याज आर्थिक सहायता	1625.00	1426.99	198.01	2014-15 हेतु ब्याज आर्थिक सहायता योजना की गैर-अधिसूचना के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
17.	3601.02.720.01-अवसंरचना एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां	640.00	504.84	135.16	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग</b>					
18.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	989.11	792.45	196.66	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
19.	3275.00.103.01-सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	3159.00	2086.98	1072.02	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
20.	3275.00.797.01-सार्वभौमिक सेवा बाध्यता विधि को अंतरण	3537.00	2086.98	1450.02	
21.	4859.01.190.13-आई.टी.आई. पुनरुद्धार (इक्विटी निवेश)	460.00	192.00	268.00	
22.	5275.00.800.03-रक्षा सेवाओं हेतु ओ.एफ.सी. आधारित नेटवर्क	2760.00	358.08	2401.92	ऑप्टिकल फाइबर केबल को डालने हेतु निविदा को विलम्ब से अंतिम रूप देने तथा मुकदमे के कारण इलेक्ट्रॉनिक संघटकों हेतु निविदा के विलम्ब के कारण।
<b>अनुदान सं. 17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग</b>					
23.	6860.04.190.06-खोई आधारित सह उत्पादन शक्ति परियोजना हेतु चीनी कारखाने	200.00	46.45	153.55	पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट के गैर-प्रस्तुतीकरण, उपयुक्त दावों के गैर-प्रस्तुतीकरण तथा चीनी मिलों द्वारा विभिन्न स्वीकृतियों के कारण परियोजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय</b>					
24.	4047.00.037.01-तटीय सुरक्षा संगठन	1550.00	1135.35	414.65	मितव्ययी उपायों के कारण।
<b>अनुदान सं. 28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>					
25.	3601.02.101.14-उत्तर पूर्व तथा सिक्किम हेतु संसाधनों के गैर-व्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता	948.00	704.50	243.50	नई परियोजना को प्रारम्भ करने में विलम्ब तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
26.	3601.05.101.02-विशेष विकास परियोजना	582.00	437.99	144.01	व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 29-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय</b>					
27.	3601.02.269.01-निर्मल भारत अभियान	2345.64	1836.62	509.02	पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
28.	3601.02.789.19-जल निकासी एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	937.56	626.55	311.01	
29.	3601.02.789.20- जल आपूर्ति-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	2344.82	2003.64	341.18	
30.	3601.02.796.19- जल निकासी एवं स्वच्छता- स्वच्छता सेवाएं	425.80	284.79	141.01	
<b>अनुदान सं. 31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</b>					
31.	3435.04.103.03-जल प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण (उपकर)	250.00	129.14	120.86	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा.प्र.नि.बो.) द्वारा उपकर संग्रहण के देरी से प्रेषण के कारण।
<b>अनुदान सं. 32-विदेश मंत्रालय</b>					
32.	3605.00.101.09-बांग्लादेश को सहायता	350.00	197.84	152.16	राजनीतिक कारणों के कारण अनुदान सहायता के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
33.	3605.00.101.10-भूटान को सहायता	3065.99	2281.75	784.24	पूनात संचऊ-1 हेतु संशोधित लागत अनुमान के लिए संघ के मंत्रीमण्डल की अस्वीकृति, खोलंगच्छू जल विद्युत परियोजना तथा विद्युत खरीद करार के निविदा प्रक्रिया कार्य को अंतिम रूप न देने तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
34.	3605.00.101.11-नेपाल को सहायता	450.00	303.26	146.74	नेपाल सरकार द्वारा रेल लिंक परियोजना हेतु स्थल को सौंपने में देरी के कारण।
35.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	330.00	104.34	225.66	रीह टिडिम सड़कों, त्रिपार्श्व राजमार्ग के प्रति बिलों की अप्राप्ति, संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा कलदान बहु-माडल ट्रांसिट परिवहन परियोजना के प्रति इन्वाइस की अप्राप्ति के कारण।
36.	3605.00.101.20-अफ्रीकी देशों को सहायता	350.00	142.86	207.14	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
37.	7605.00.097.01-भूटान में चालू जल-विद्युत परियोजना हेतु कर्ज	3008.01	2113.42	894.59	
<b>अनुदान सं. 33-आर्थिक कार्य विभाग</b>					
38.	2075.00.797.01-प्रतिभूति विमोचन निधि	300.00	100.00	200.00	प्रतिभूति विमोचन निधि को अंतरण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
39.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र संगठनों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	607.00	107.00	500.00	असंगठित क्षेत्र श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि को अंतरण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
40.	5475.00.800.12-अवसंरचना विकास हेतु सहायता-व्यवहार्यता अंतर निधीयन	670.00	365.00	305.00	संशोधित प्रक्षेपण के कारण कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
41.	7475.00.800.10-उधार हेतु नए करारों (एन.ए.बी.) के अंतर्गत आई.एम.एफ. को कर्ज	2972.08	2427.59	544.49	एन.ए.बी. के अंतर्गत आई.एम.एफ. को कर्ज प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
<b>अनुदान सं. 34-वित्तीय सेवाएं विभाग</b>					
42.	5465.01.190.33-लोक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूजीकरण	11200.00	6990.00	4210.00	प्रत्याशित स्तर पर जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात हेतु एक टियर-1 पूंजी का अनुरक्षण करने हेतु लोक क्षेत्र बैंकों को कम पूंजीगत सहायता प्रदान करने के कारण।
43.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	11200.00	1253.30	9946.70	अपर्याप्त विनिवेश प्राप्तियों के कारण राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से लोक क्षेत्र बैंकों को कम पूंजीगत सहायता की आवश्यकता के कारण।
<b>अनुदान सं. 35-विनियोग-ब्याज भुगतान</b>					
44.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	800.00	433.57	366.43	अर्थोपाय अग्रिम के कम उपयोग तथा सरकारी खाते में आधिक्य नकद की उपलब्धता के कारण ओवरड्राफ्ट के कारण।
45.	2049.01.116-14 दिवसीय खजाना बिल	7250.00	3671.44	3578.56	राज्य सरकारों द्वारा कम निवेश के कारण
46.	2049.01.128-नकद प्रबंधन बिल	1500.00	93.57	1406.43	नकद प्रबंधन बिल के कम प्रचालन के कारण।
47.	2049.05.105.10-ऋण सेवा निधि पर ब्याज	352.19	9.84	342.30	निधि के कम उपचय के कारण।
<b>अनुदान सं. 36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण</b>					
48.	2245.80.103.02- राज्य को गम्भीर प्रकृति की आपदाओं हेतु एनडीआरएफ से सहायता	5050.00	3460.88	1589.12	कम आपदा होने के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
49.	2245.80.797.02-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरण	5050.00	3460.88	1589.12	कम आपदाएं होने के कारण व्यय के बराबर राशि का आरक्षित निधि को अंतरण किया गया था।
50.	3601.01.104.18- अभिशासन हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	4141.52	2784.63	1356.89	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
51.	3601.04.104.19- प्राथमिक शिक्षा अनुदान हेतु सहायता अनुदान	5708.00	4648.00	1060.00	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण।
52.	3601.02.101.01-सामान्य केन्द्रीय सहायता	28514.00	25470.34	3043.66	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षित एवं प्रत्याशित व्यय विवरणियों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
53.	3601.02.101.06-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3500.00	3039.32	460.68	कार्यालय सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
54.	3601.02.101.07-अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1261.00	507.86	753.14	कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
55.	3602.02.101.08-विशेष केन्द्रीय सहायता	11000.00	9671.00	1329.00	नीति आयोग द्वारा सभी योग्य विशेष श्रेणी के राज्यों को निधियों के गैर-आबंटन के कारण।
56.	3601.02.101.35-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	5050.00	3029.23	2010.77	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा नीति आयोग द्वारा सिफारिश न किए जाने के कारण।
57.	3601.02.101.48- एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों हेतु एसीए	2640.00	1760.00	880.00	योजना की गई गतिविधियों के गैर-निष्पादन के कारण।
<b>अनुदान सं. 38- विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान</b>					
58.	6001.00.105.02-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि (अं.वि.नि.)	2514.98	635.13	1879.85	प्रतिभूतियों के कम पुनर्भुगतान के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
59.	6001.00.106.30-8% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर करयोग्य)	1143.69	594.29	549.40	धारकों द्वारा विमोचन हतु प्रस्तावित कम दावों तथा बंधपत्र धारकों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
60.	6001.00.114-अर्थोपाय अग्रिम	500000.00	316116.00	183884.00	अर्थोपाय अग्रिमों के कम उपयोग तथा भा.स. के नगद शेष में आधिक्य के कारण ओवरड्राफ्ट के कारण।
61.	6001.00.127-नकद प्रबंधन बिल	100000.00	10000.00	90000.00	आधिक्य नगद शेष की उपलब्धता के कारण कम प्रचालन के कारण
62.	6002.00.208- फ्रांस सरकार से कर्जे	379.86	239.17	140.69	पुनर्भुगतान के गैर-कार्यान्वयन के कारण
63.	6002.00.217- जापान सरकार से कर्जे	4262.12	3717.80	544.32	पुनर्भुगतान अनुसूची के संशोधन के कारण
64.	6002.00.226- अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, सं.रा.अ. से कर्जे	933.31	132.40	800.91	पुनर्भुगतान के गैर-कार्यान्वयन के कारण
<b>अनुदान सं. 40- पेंशन</b>					
65.	2071.01.102.01- सामान्य पेंशन	1961.80	1523.90	437.90	कम स्क्रोलों/दावों की प्राप्ति के कारण
66.	2071.01.115.01- सामान्य पेंशन	1620.00	1389.14	230.86	कम स्क्रोलों/दावों की प्राप्ति के कारण
<b>अनुदान सं. 43-प्रत्यक्ष कर</b>					
67.	4059.01.202- तैयार निर्मित आवास अधिग्रहण	700.01	42.38	657.63	विभिन्न परियोजनाओं के स्थगन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं के समापन की धीमी गति, सम्पत्तियों की खरीद/निर्माण हेतु कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा मितव्ययी उपायों के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 44- अप्रत्यक्ष कर</b>					
68.	2037.00.101.01-समुद्र सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन	483.02	366.25	116.77	रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कुछ पुरस्कार मामले, किराया, दरों का गैर-संशोधन तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
69.	2038.00.101.01-आयुक्तालय	2943.51	2495.08	448.43	रिक्त पदों को न भरने, सेवा प्रदाताओं द्वारा लक्ष्य को पूरा न करने, किराए के गैर-संशोधन, कम घरेलू यात्राएं, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति तथा किराए पर ली गई कार्यालय बिल्डिंग के संबंध में किराया संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप न देने के कारण।
70.	4047.00.037-बचाव एवं अन्य कार्य	132.72	18.29	114.43	आपूर्तिकर्ताओं से जलयान आपूर्तिमापदण्डों के संबंध में स्पष्टीकरण की अप्राप्ति, विभिन्न अभिकरणों से स्वीकृतियों की अप्राप्ति के कारण विलंबित निविदा प्रक्रिया तथा संस्थापन कार्य हेतु समय सारणी के संशोधन के कारण।
<b>अनुदान सं. 47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>					
71.	2210.05.105.26-कैंसर अनुसंधान	172.00	70.43	101.57	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (चि.रा.कैं.सं.), कोलकाता के दूसरे परिसर की स्थापना में धीमी प्रगति, मीडिया के माध्यम से तम्बाकू प्रतिरोधी अभियान के प्रति कम निधियों की आवश्यकता तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
72.	2210.06.001.09-संक्रामक रोगों हेतु फलैक्सी पूल	1661.49	1128.47	533.02	आपूर्तियों के प्रापण हेतु कम निधि की आवश्यकता के कारण
73.	3601.02.226.01-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन	768.48	196.50	571.98	कम प्रस्तावों की प्राप्ति एवं संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
74.	3601.02.263.03-राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक बचाव तथा नियंत्रण कार्यक्रम	415.20	258.73	156.47	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
75.	3601.02.789.28-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विषमचिकित्सा	214.30	25.97	188.33	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती तथा उपयोग प्रमाण पत्रों की कम प्राप्ति के कारण
76.	3601.02.789.29-लोक स्वास्थ्य - रोगों से बचाव एवं नियंत्रण (स्वास्थ्य)	180.22	71.71	108.51	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती, प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
77.	3601.02.789.34-परिवार कल्याण - प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	2541.20	1892.67	648.53	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती, प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
78.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम तथा पोलियो विकिरण के सुदृढीकरण हेतु सामग्री सहायता	718.10	153.80	564.30	कम प्रापण के कारण
79.	4210.03.105.12-एम्स प्रकार के अति-विशिष्ट अस्पताल सह शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का सुधार	844.00	247.50	596.50	पूँजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा वाहनों एवं उपकरणों के प्रापण में धीमी गति के कारण
80.	4210.03.105.18-नए एम्स की स्थापना	390.00	10.00	380.00	पूँजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा वाहनों एवं उपकरणों के प्रापण में धीमी गति के कारण



उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 50- एड्स नियंत्रण विभाग</b>					
81.	2210.06.101.33-राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	699.00	348.95	350.05	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
<b>अनुदान सं. 51- भारी उद्योग विभाग</b>					
82.	2852.80.003.12-राष्ट्रीय आटोमेटिव जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	426.94	241.91	185.03	31.12.2014 को परियोजना अवधि की समाप्ति के कारण
<b>अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय</b>					
83.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका (रा.ज.पं.)	584.03	335.96	248.07	चार राज्य सरकारों हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका योजना को अंतिम रूप न देने के कारण।
<b>अनुदान सं. 55-पुलिस</b>					
84.	3601.04.117.01-राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य बलों के आधुनिकीकरण की योजना	1597.00	1423.57	173.43	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित योजना की गैर स्वीकृति तथा विद्यालयों के नए स्थान के कारण।
85.	4055.00.201.01-कार्यालय भवन	651.90	386.28	265.62	कुछ क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण
86.	4055.00.203.01-महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	1204.79	975.98	228.81	रशियन हेलीकाप्टर की खरीद हेतु कम निधियों की आवश्यकता, मशीनरी एवं उपकरण की खरीद हेतु प्रस्तावों की अस्वीकृति तथा कुछ क्षेत्रों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
87.	4055.00.203.02-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	481.34	345.01	136.33	मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न देने तथा ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत कम दावों के कारण
88.	4055.00.206.03-सामान्य	126.95	25.60	101.35	प्रापण के प्रति प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
89.	4055.00.210.01-राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	125.00	22.30	102.70	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
90.	4055.00.210.09-केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	206.48	7.43	199.05	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।
91.	4055.00.212.08-दिल्ली पुलिस निर्माण कार्यक्रम	337.28	172.02	165.26	कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण
92.	4055.00.214.01-भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य	958.00	569.24	388.76	भूमि के गैर-अधिग्रहण, लोक विरोध विद्रोही गतिविधियों के कारण कार्य की धीमी प्रगति तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण
93.	4055.00.214.02-भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य	300.00	145.86	154.14	भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध किसानों के आन्दोलन तथा सीमा क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण
94.	4055.00.214.03-भारत-चीन सीमा	367.00	153.03	213.97	अधिक ऊंचाई तथा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण
95.	4055.00.214.05-भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	500.00	0.50	499.50	राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
96.	4055.00.214.07-समेकित जांच पोस्टों की स्थापना	145.00	33.10	111.90	भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
97.	4055.00.215.03-तटीय सुरक्षा हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता	150.00	37.14	112.86	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
<b>अनुदान सं. 56- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>					
98.	3601.01.343.06-जम्मू एवं कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	660	160.00	500.00	कश्मीरी प्रवासीयों के पुनर्वास की योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
99.	4250.00.108.08-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	247.54	33.49	214.05	व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव की अस्वीकृति तथा सशस्त्र सीमा बल से नई बटालियन गैर-अधिष्ठापन के कारण
<b>अनुदान सं. 58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>					
100.	2216.02.190.15-राजीव ऋण योजना (रा.ऋ.यो.)	629.19	0.22	628.97	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति, योजना के रिवैम्प/शामिल होने के कारण
101.	3601.04.169.01-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (ज.ला.ने.रा.न.मि.)	963.99	439.29	524.70	नई परियोजनाओं की अस्वीकृति के कारण
102.	3601.04.170.01-राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)	2070.00	1092.96	977.04	
103.	3601.04.435.05-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (रा.श.आ.मि.)	793.00	677.34	115.66	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति, उपयोग प्रमाणपत्रों तथा लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणियों की अप्राप्ति के कारण
<b>अनुदान सं. 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन</b>					
104.	3601.02.165.01-मदरसा/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना	337.49	119.28	218.21	सम्भावित प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण
105.	3601.02.180.06-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)	3080.71	2354.74	725.97	
106.	3601.02.187.01-राज्यों को सहायता	8113.75	7150.59	963.16	
107.	3601.02.789.05- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	879.49	635.62	243.87	संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण
108.	3601.02.789.57-प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	2402.70	2027.02	375.68	

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
109.	3601.02.797.03-प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतरण हेतु निधियां	27575.00	22319.19	5255.81	शिक्षा उपकर के कम संग्रहण के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण। प्रा.शि.को. द्वारा वित्तपोषित योजना अर्थात् स.शि.अ. तथा म.भो.यो. में व्यय की प्रवृत्ति निम्न थी। इसलिए राशि को संशोधित अनुमान स्तर पर कम किया गया था।
<b>अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग</b>					
110.	2202.03.102.14-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रा.उ.शि.अ.)	140.74	6.77	133.97	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति, संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
111.	2202.03.789.03-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय	543.89	443.39	100.50	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण
112.	2202.03.800.19-ब्याज आर्थिक सहायता तथा गारंटी निधि हेतु अंशदान	1612.77	1225.27	387.50	कम दावों की प्राप्ति के कारण
113.	3601.04.189.02- सामान्य (सामान्य शिक्षा)- अन्य अनुदानें	1196.27	312.46	883.81	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण।
114.	3601.04.789.43- सामान्य (सामान्य शिक्षा)- अन्य अनुदानें	231.54	60.57	170.97	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</b>					
115.	2230.01.111.05-असंगठित क्षेत्र कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना 2004	110.00	5.28	104.72	संपूर्ण तरीके में सामाजिक कार्ड के निर्गत की योजनाओं की शुरुआत नहीं होने के कारण तथा योजना के परिवर्तन को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
116.	3601.04.326.02-आर.एस.बी.वाई. सहित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	828.29	412.52	415.77	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण।
117.	3601.04.789.47-श्रम-असंगठित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा	259.86	85.72	174.14	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण।
<b>अनुदान सं. 66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>					
118.	2851.00.102.77-अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण (पूर्व में एम.एस.एम.ई. समूह विकास कार्यक्रम तथा एम.एस.एम.ई. विकास पोल)	260.00	106.29	153.71	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
119.	2851.00.105.14-भारत नवोन्मेष, उद्यमिता तथा कृषि-उद्योग निधि	123.29	5.00	118.29	योजना के निर्माण में विलंब के कारण।
<b>अनुदान सं. 68- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय</b>					
120.	3601.02.378.01-अल्पसंख्यकों के बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	1094.00	766.44	327.56	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू होने के कारण
<b>अनुदान सं. 69- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>					
121.	2810.00.101.01-नवीन एवं नवीकरणीय ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय विद्युत	1454.00	1082.49	371.51	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कमी होने से तकनीकी अभ्यर्पण के कारण
<b>अनुदान सं. 71- पंचायती राज मंत्रालय</b>					
122.	3601.02.471.01- पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदानें	3233.20	1767.37	1465.83	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण
123.	3601.02.471.02-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	635.80	358.41	277.39	
124.	3601.02.789.01- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती	955.80	412.83	542.97	
125.	3601.02.796.01- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती	1121.00	656.80	464.20	

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 76-योजना मंत्रालय</b>					
126.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1437.14	1104.61	332.53	कम सलाहकारों को किराये पर लेने, सम्मेलनों/सेमिनारों की बैठक नहीं होने, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधि की आवश्यकता तथा घरेलू/विदेशी यात्रा के कारण।
127.	3475.00.800.83- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में नाम-योजना लेखांकन एवं लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली)	199.57	64.17	135.40	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती, श्रमशक्ति के आऊटसोर्सिंग के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब तथा राज्य परियोजना मॉनिटरिंग स्थापना के कारण
128.	5475.00.800.17- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में नाम-योजना लेखांकन एवं लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली)	170.00	0.32	169.68	कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा मशीनरी एवं उपकरण के प्रापण के लिए प्रस्ताव के गैर-भौतिकीकरण के कारण संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण
<b>अनुदान सं. 77 -विद्युत मंत्रालय</b>					
129.	2801.06.102.03-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए	4140.10	2413.97	1726.13	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण।
130.	2801.06.789.01-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.जी.जी.वी.वाई.)	710.00	460.44	249.56	
131.	2801.80.004.02-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	295.53	79.82	215.71	योजना के देर से अनुमोदन के कारण।
132.	2801.80.800.15-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	137.55	9.00	128.55	सलाहकारों के चयन प्रक्रिया के पूरे नहीं होने के कारण प्रस्तावित योजना के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
133.	2801.80.800.26-त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (APDRP)	144.50	16.78	127.72	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
134.	4801.02.190.02-भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	915.00	73.74	841.26	भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण खानों के गैर आबंटन के कारण।
135.	6801.00.190.04-विद्युत वित्त निगम	873.59	490.81	382.78	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 83 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>					
136.	3054.02.337.06- एन.एच. से भिन्न सड़क अनुरक्षण	567.99	451.20	116.79	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान के कटौती तथा जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के पश्चात दुर्गम मौसम स्थितियों के कारण।
137.	3601.02.105.01- राज्य सड़क हेतु अनुदानें	2607.06	2064.75	542.31	कम उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के कारण।
138.	3601.02.105.02- आर्थिक महत्व के अंतर-राज्य की सड़कें	292.63	93.11	199.52	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
139.	5054.01.101.02- राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य	150.00	37.99	112.01	विभिन्न राज्य सरकारों से नये पुलों के निर्माण के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
140.	5054.01.337.01- सड़क विंग के अंतर्गत कार्य	2412.56	1713.31	699.25	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान में कटौती, निविदा प्रापण के अंतिम रूप न दिया जाना तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
141.	5054.02.337.03- बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत कार्य	2392.09	2066.06	326.03	खराब मौसम स्थिति के कारण कार्य की धीमी प्रगति, पहाड़ी इलाकों में कठिन सड़क भूभाग तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 84- ग्रामीण विकास विभाग</b>					
142.	2501.06.102.01- आजीविका - कार्यक्रम घटक	175.26	56.61	118.65	ग्रामीण स्वतः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य सरकारों, आई.टी. आधारित निगरानी प्रणाली का प्रापण न होना एवं संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
143.	2501.06.102.05- महिला स्वतः सहायता समूह की ब्याज अनुदान	567.60	397.96	169.64	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
144.	2505.02.797.01- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को हस्तांतरण	636.00	513.31	122.69	निधियों के कम हस्तांतरण से कार्यान्वयन अभिकरणों को कम निधि के निर्गम के कारण।
145.	2515.00.800.26- बी.पी.एल. सर्वेक्षण	519.30	332.34	186.96	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान के कटौती के कारण।



उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
146.	3601.02.416.01- इंदिरा आवास योजना - कार्यक्रम घटक	5829.96	4475.69	1354.27	राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता एवं संशोधित अनुमानित खर्च पर प्रावधान की कटौती के कारण।
147.	3601.02.417.01- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9483.47	7035.27	2448.20	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर बजट प्रावधान की कटौती के कारण।
148.	3601.02.418.01- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	511.41	114.32	397.09	
149.	3601.02.418.02- आजीविका - ई.ए.पी. घटक	590.00	416.00	174.00	
150.	3601.02.789.16- ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना	5325.02	3431.17	1893.85	
151.	3601.02.789.17- स्वतः रोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	296.62	66.30	230.32	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
152.	3601.02.796.17- स्वतः रोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	214.79	48.01	166.78	
<b>अनुदान सं. 85- भू-संसाधन विभाग</b>					
153.	3601.02.661.01- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	2296.50	1704.84	591.66	राज्य सरकारों से प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
154.	3601.02.789.21- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	567.00	375.85	191.15	
<b>अनुदान सं. 86- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>					
155.	3425.60.200.66- तकनीकी अनुसंधान केन्द्र	118.75	1.00	117.75	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर तथा आर्थिक उपायों में कटौती लागू करने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 87- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग</b>					
156.	3425.60.151.02- राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ	2485.50	2203.63	281.87	संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।
<b>अनुदान सं. 89- पोत परिवहन मंत्रालय</b>					
157.	5051.01.104.07- अन्य व्यय	173.00	54.44	118.56	निकर्षण प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं होने के कारण।
<b>अनुदान सं. 90- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>					
158.	2225.01.789.22- एस.सी. के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	171.00	15.08	155.92	छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने तथा प्रशासनिक व्यय के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण।
159.	3601.03.789.08- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण - आर्थिक विभाग	1036.80	700.00	336.80	कुछ राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
<b>अनुदान सं. 92- अंतरीक्ष विभाग</b>					
160.	5402.00.101.01- विक्रम साराभाई अंतरीक्ष केंद्र (वी.एस.एस.सी.)	367.41	241.75	125.66	सामाग्री के प्रापण के स्थगन तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
161.	5402.00.101.20- ध्रुवीय उपग्रह लॉच व्हिकील कंटीन्यूएशन	374.20	61.25	312.95	डी.एम.सी. - 3 तथा टोलाओस -I उपग्रहों को लॉच करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 93- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>					
162.	2553.00.101.01- अनुदान सहायता	3950.00	3350.00	600.00	कर्नाटक में चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा जिला प्राधिकरण द्वारा समय से उपयोगिता/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को प्रस्तुत नहीं होने के कारण।
<b>अनुदान सं. 95- कपड़ा मंत्रालय</b>					
163.	2851.00.800.50- पाँच वृहत समूह की स्थापना - (i) बरेली में जरी, (ii) लखनऊ में चिकन, (iii) कच्छ में कढ़ाई, (iv) सूरत में विद्युत करघा समूह तथा (v) त्रिपुरा में हथकरघा समूह	190.00	27.12	162.88	परियोजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब के कारण।
164.	2852.08.202.13 - आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन (टी.यू.एफ.एस.)	2199.73	1883.10	316.63	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
165.	2852.08.202.27- एकीकृत कपड़ा पार्क	222.99	78.26	144.73	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्ति तथा कपड़ा पार्क की अवसंरचना पूर्ण न होने के कारण।
<b>अनुदान सं. 96- पर्यटन मंत्रालय</b>					
166.	3452.80.104.01- प्रत्यक्ष व्यय	446.20	279.79	166.41	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय से कम बिलों की प्राप्ति तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>अनुदान सं. 97- जनजातीय मंत्रालय</b>					
167.	3601.02.796.02- अनुसूचित जानजातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुदानें (प्रभारित)	2492.00	2171.99	320.01	कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्ताव की प्राप्ति नहीं होने तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।
168.	3601.03.796.08- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा (प्रभारित)	589.60	375.59	214.01	कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने तथा संशोधित अनुमानित खर्च स्तर पर कटौती लागू करने के कारण।
<b>अनुदान सं. 103- शहरी विकास विभाग</b>					
169.	2217.05.191.14- राष्ट्रीय विरासत शहर कार्यक्रम	200.00	0.87	199.13	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांगों की प्राप्ति के कारण।
170.	3601.04.315.02- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन	6496.27	997.95	5498.32	
171.	3601.04.318.01- पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (एन.ई.आर.यू.डी.पी.)	252.90	150.99	101.91	
172.	3602.04.315.01- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन	420.50	7.77	412.73	
173.	4216.01.106.03- शहरी विकास निर्माण	609.00	499.89	109.11	
174.	4217.60.190.08- अन्य मेट्रो परियोजना	1462.27	338.99	1123.28	जारी कार्यों के धीमी प्रगति तथा मितव्ययी उपाय के कारण। कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्राप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
175.	6217.60.191.17- अन्य मेट्रो परियोजना को पास थो सहायता	1778.48	1141.85	636.63	
176.	6217.60.191.18- अधीनस्थ कर्ज ब्याज मुक्त ऋण	1360.00	888.02	471.98	
<b>अनुदान सं. 104- लोक कार्य</b>					
177.	4059.01.051.01- भवन	323.63	150.20	173.43	जारी कार्य की धीमी प्रगति तथा ग्राहक विभाग से व्यय स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण।
<b>106 - जल संसाधन मंत्रालय</b>					
178.	2701.80.800.11- जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	173.62	56.64	116.98	स्थल के उन्नयन के लिए कम प्रस्ताव की प्राप्ति, जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन के लिए अध्ययन का आयोजना के लिए विलंब से स्वीकृति एवं संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण।
179.	2702.02.005.16- भूमिगत जल प्रबंधन एवं विनियमन	350.00	138.22	211.78	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया की अपूर्णता, मशीनरी के खरीद के लिए प्रापण प्रक्रिया का गैर-भौतिकीकरण तथा खोजी कुओं के कम निर्माण के कारण।
180.	3435.04.101.06- राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	530.01	267.46	262.55	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
181.	3435.04.800.01- विद्यमान बजट से एक एन.सी.टी. के लिए जल परियोजना	500.01	320.00	180.01	वित्त मंत्रालय से स्वीकृति/सहमति के गैर-प्राप्ति के कारण।

**उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है**

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
182.	3601.02.101.50- महाराष्ट्र की बोडवाड़ परिसर सिंजन योजना परियोजना	200.00	66.66	133.34	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की गैर-प्राप्ति तथा राज्य सरकारों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।
183.	3601.02.101.51- त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	7568.64	3201.07	4367.57	
184.	3601.02.796.26- मध्यम सिंचाई - त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	160.58	59.97	100.61	संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 107- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>					
185.	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	213.00	54.15	158.85	रिक्त पदों को न भरने, तकनीकी एजेंसियों से दावों की प्राप्ति न होने तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा योजना पुनरीक्षण अधीन होने के कारण।
186.	3601.02.356.09- आई.जी.एम.एस.वाई. को शामिल करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	437.68	278.19	159.49	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित अनुमान की अस्वीकृति तथा गैर-मूल्यांकन के कारण।
<b>डाक सेवाएं</b>					
<b>अनुदान सं. 13- डाक विभाग</b>					
187.	3201.02.102.01- डाक छँटाई	1253.90	1105.31	148.59	बचतें समय से मामलों के निस्तारण न होने, योजना निधि में कटौती तथा
188.	3201.07.102.01- पेंशन का परिवर्तित मूल्य	442.60	325.53	117.07	

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
189.	5201.00.104.62- मशीनरी उपकरण	274.40	13.77	260.63	सेवानिवृत्ति की अधिक संख्या के कारण थी। यह भी कहा गया कि चालू व्यय की समीक्षा की गई तथा निधि के लिए परियोजना वास्तविक मांग के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे।
<b>रक्षा सेवाएं</b>					
<b>अनुदान सं. 22 - रक्षा सेवाएं - थल सेना</b>					
190.	2076.00.101 - थल सेना के भुगतान एवं भत्ते	349.00	237.15	111.85	धनपालन मामले में संवितरण कटौती के कारण।
191.	2076.00.800 - अन्य व्यय	2480.68	2021.80	458.88	अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए मुक्त संसाधनों के व्यय की कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 23 - रक्षा सेवाएं - नौसेना</b>					
192.	2077.00.110 - भण्डार	4928.70	4151.44	777.26	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेन्ट्स के मूल्य में कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 24 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना</b>					
193.	2078.00.800- अन्य व्यय	562.10	454.65	107.45	कुछ नमूना प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।
<b>अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखाना</b>					
194.	2079.00.110- भण्डार	6606.74	5686.27	920.47	'आपूर्ति से सेवाएं' के लक्ष्य में कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
195.	2079.00.800- अन्य व्यय	1273.79	910.51	363.28	125 एम.एम.एफ.एस.ए.पी.डी.एस. के तकनीकी अंतरण के लिए अग्रिम भुगतान के लिए भुगतान सूचि में परिवर्तन के कारण।
<b>अनुदान सं. 26 - रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास</b>					
196.	004- अनुसंधान/अनुसंधान विकास	895.35	732.85	162.50	महानिदेशक वैमानिकी विकास एजेंसी एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा मांग में कटौती के कारण।
<b>अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
<b>01- थल सेना</b>					
197.	4076.01.050 - भूमि	281.00	178.39	102.61	यथा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण मामलों के गैर-फलन के कारण।
198.	4076.01.102 - भारी एवं मध्यम वाहन	2692.16	1306.66	1385.50	महानिदेशक आयुध कारखाना द्वारा कम उपयोग तथा नई योजनाओं के गैर-फलन के कारण।
199.	4076.01.103 - अन्य उपकरण	15591.93	9772.72	5819.21	नई योजनाओं के गैर फलन, महानिदेशक आयुध कारखाना द्वारा कम उपयोग तथा प्रतिबद्ध दायित्व मामलों में फिसलन के कारण।
200.	4076.01.202 - निर्माण कार्य	5259.78	4507.78	752.00	विवाह आवास परियोजना के अधीन ठेकों के निरस्तीकरण तथा थल सेना वृहद परियोजना/अन्य परियोजना के कम खर्च के कारण



उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>02- नौसेना</b>					
201.	4076.02.103 - अन्य उपकरण	4358.10	3654.17	703.93	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती तथा निश्चित उपकरण के वितरण कार्यक्रम में विलंब की दृष्टि से प्रतिबद्ध देयताओं में आवश्यक कटौती के कारण।
202.	4076.02.104- संयुक्त स्टाफ	1028.87	643.95	384.92	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती, योजना, परियोजना, ए.एम.सी. की दिव्य दृष्टि एवं एस.एफ.सी. परियोजना की कम प्रगति के कारण।
203.	4076.02.205- नौसेना गोदी	1612.87	635.45	977.42	आर.ई. स्तर पर कम कटौती तथा डी.जी.एन.पी. के निश्चित ठेकों के गैर निष्कर्ष के कारण।
<b>03- वायु सेना</b>					
204.	4076.03.102- भारी एवं मध्यम वाहन	194.29	33.26	161.03	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण तथा नई योजनाओं के गैर-फलन के कारण।
205.	4076.03.103 - अन्य उपकरण	15352.17	8218.55	7133.62	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती तथा कुछ प्रमुख उद्देश्यों जैसे एम.आर.एस.ए.एम., डब्ल्यू.सी.डी.एम.ए., एल.एल.टी.आर. (थेल्स), एल.एल.टी.आर. (बी.ई.एल.), एल.एल.क्यू.आर.एम., जी.एस.ए.टी. आदि की प्राप्ति न होने के कारण।

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
<b>04- रक्षा आयुध कारखाना</b>					
206.	4076.04.052- मशीनरी तथा उपकरण	707.71	485.74	221.97	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण तथा मे. ज्योति सी.एन.सी. मशीन, चेन्नई को भुगतान नहीं होने के कारण से मशीन की प्राप्ति न होना।
207.	4076.04.111- कार्य	452.00	299.87	152.13	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण तथा एम.ई.एस. द्वारा कम उपयोग के कारण।
<b>05- अनुसंधान एवं विकास</b>					
208.	4076.05.052- मशीनरी एवं उपकरण	8541.10	6947.38	1593.72	आर.ई. स्तर पर लागू कटौती के कारण।
209.	4076.05. 111- कार्य	753.15	451.74	301.41	

**अनुबंध 3.14**

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों को दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट	वास्तविक	बचते	बजट प्रावधान के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता
			प्रावधान	व्यय		
(₹ करोड़ में)						
<b>परमाणु ऊर्जा</b>						
1.	4861.60.203.44-तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफ आर एफ सी एफ)	2012-13	580.00	--	580.00	100
		2013-14	263.00	8.51	254.49	97
		2014-15	490.00	189.98	300.02	61
<b>दूरसंचार विभाग</b>						
2.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	2012-13	1019.31	711.67	307.64	30
		2013-14	925.00	686.67	238.33	26
		2014-15	989.11	792.45	196.66	20
3.	3275.00.103.01-सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति	2012-13	2689.10	625.00	2064.10	77
		2013-14	2683.80	2163.45	520.35	19
		2014-15	3159.00	2086.98	1072.02	34
<b>विदेश मंत्रालय</b>						
4.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	2012-13	302.21	121.88	180.33	60
		2013-14	450.00	164.86	285.14	63
		2014-15	330.00	104.34	225.66	68
<b>आर्थिक मामलों का विभाग</b>						
5.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र के कर्मचारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2012-13	1000.00	120.00	880.00	88
		2013-14	609.55	200.00	409.55	67
		2014-15	607.00	107.00	500.00	82
<b>विनियोग ब्याज भुगतान</b>						
6.	2049.01.116-14 दिवसीय ट्रेजरी बिल (भारत)	2012-13	5200.00	4285.65	914.35	18
		2013-14	7150.00	3616.53	3533.47	49
		2014-15	7250.00	3671.44	3578.56	49
7.	2049.01.126-बैंको मे बाजार स्थिरीकरण योजना के जमा धन पर ब्याज/छूट	2012-13	110.00	--	110.00	100
		2013-14	1630.38	--	1630.38	100
		2014-15	1628.81	--	1628.81	100
<b>राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण</b>						
8.	3601.01.104.18-अभिशासन के लिए अनुदान	2012-13	3528.82	1636.10	1892.72	54
		2013-14	3629.02	1879.35	1749.67	48
		2014-15	4141.52	2784.63	1356.89	33
9.	3601.02.101.35-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ)	2012-13	6990.00	5338.00	1652.00	24
		2013-14	5000.00	3530.52	1469.48	29
		2014-15	5050.00	3039.23	2010.77	40
10.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम	2012-13	1000.00	--	1000.00	100
		2013-14	1000.00	--	1000.00	100
		2014-15	1000.00	--	1000.00	100

विनियोग-ऋण का पुन भुगतान						
11.	6001.00.106.30-8% बचत बॉण्ड, 2003 (कर योग्य)	2012-13	10594.43	5413.95	5180.48	49
		2013-14	1063.60	429.45	634.15	60
		2014-15	1143.69	594.29	549.40	48
12.	6001.00.114-अर्थोपाय अग्रिम	2012-13	700000.00	124648.00	575352.00	82
		2013-14	500000.00	242425.00	257575.00	52
		2014-15	500000.00	316116.00	183884.00	37
पेंशन						
13.	2071.01.115.01-सामान्य पेंशन	2012-13	1440.00	1283.64	156.36	11
		2013-14	1450.00	1290.81	159.19	11
		2014-15	1620.00	1389.14	230.86	14
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय						
14.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं पोलियो उन्मूलन के मजबूती के लिए पदार्थीय सहायता	2012-13	332.36	94.21	238.15	72
		2013-14	332.36	159.43	172.93	52
		2014-15	718.10	153.80	564.30	79
15.	4210.03.105.12-एम्स की तरह सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल सह शिक्षण संस्थान तथा राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन	2012-13	1376.21	854.62	521.59	38
		2013-14	1475.00	803.58	671.42	46
		2014-15	844.00	247.50	596.50	71
भारी उद्योग विभाग						
16.	2852.80.003.12-राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण तथा आर एवं डी अवसंरचना परियोजना	2012-13	488.48	341.94	146.54	30
		2013-14	341.94	--	341.94	100
		2014-15	426.94	241.91	185.03	43
गृह मंत्रालय						
17.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	2012-13	1754.82	759.43	995.39	57
		2013-14	1045.27	459.44	585.83	56
		2014-15	584.03	335.96	248.07	42
पंचायती राज मंत्रालय						
18.	3601.02.471.01-पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान	2012-13	3817.81	2355.40	1462.41	38
		2013-14	4216.50	1817.20	2399.30	57
		2014-15	3233.20	1767.37	1465.83	45
19.	3601.02.789.01-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायती राज	2012-13	818.10	601.05	217.05	27
		2013-14	1008.94	434.00	574.94	57
		2014-15	955.80	412.83	542.97	57
योजना मंत्रालय						
20.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	2012-13	1300.00	1090.05	209.95	16
		2013-14	1819.00	1194.68	624.32	34
		2014-15	1437.14	1104.61	332.53	23

21.	3475.00.800.83-लोक वित्त प्रबंधन संस्थान (पूर्व नाम-नियोजन लेखा एवं लोक वित्त प्रबंधन संस्थान)	2012-13	130.00	14.45	115.55	89
		2013-14	160.99	59.95	101.04	63
		2014-15	199.57	64.17	135.40	68
<b>विद्युत मंत्रालय</b>						
22.	2801.06.789.01- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	2012-13	600.00	50.21	549.79	92
		2013-14	709.36	344.63	364.73	51
		2014-15	710.00	460.44	249.56	35
23.	2801.80.004.02-केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	2012-13	265.00	40.36	224.64	85
		2013-14	298.73	17.76	280.97	94
		2014-15	295.53	79.82	215.71	73
24.	2801.80.800.15-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	2012-13	197.40	41.50	155.90	79
		2013-14	189.41	64.12	125.29	66
		2014-15	137.55	9.00	128.55	93
25.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड	2012-13	720.04	214.24	505.80	70
		2013-14	474.00	301.45	172.55	36
		2014-15	915.00	73.74	841.26	92
<b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>						
26.	5054.01.337.01-सड़क प्रभाग के अंतर्गत कार्य	2012-13	5613.80	893.72	4720.08	84
		2013-14	3704.83	2533.17	1171.66	32
		2014-15	2412.56	1713.31	699.25	29
27.	5054.02.337.03-बी आर डी बी के अंतर्गत कार्य	2012-13	2630.71	2350.70	280.01	11
		2013-14	2799.92	2231.13	568.79	20
		2014-15	2392.09	2066.06	326.03	14

### अनुबंध 4.1

(पैरा 4.6.1 एवं 4.7.3 के संदर्भ में)

### वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्ष तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
<b>विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवाएं एवं लाभ)</b>	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण व्यय भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को केवल मंत्रालय/विभाग में परिचालित होनेवाली, योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
<b>विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)</b>	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होंगे।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर के दौरे, सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरो पर या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चें शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दरें एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दरें एवं करें आदि शामिल होंगे। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों के छपाई पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन प्रचार सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा। इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्च	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्च, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
<b>विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सेवाएँ एवं आपूर्तियाँ)</b>	
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- शस्त्र और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को शस्त्र और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पी.ओ.एल.	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्य, मशीनरी तथा उपकरणकी मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्च के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
<b>विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)</b>	
31- सहायता अनुदान- सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
34- छात्रवृत्ति/वृत्तिछात्र	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान- वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
<b>विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)</b>	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उंचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।



विषय शीर्ष	विवरण
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
<b>विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्राप्ति और अन्य पूंजीगत व्यय)</b>	
51- मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण तथा ढांचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
<b>विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)</b>	
61- मूल्यहास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
62- आरक्षितें	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
63- अंतः खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा अंतरण इत्यादि को, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना शामिल होगा।
64- बड़े खाते/हानियां	बड़े खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

अनुबन्ध - 4.2

(पैराग्राफ 4.7.3 क्र.सं.13 के संदर्भ में)

पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बजाय अनुदान सहायता सामान्य के अंतर्गत दर्ज व्यय

(₹ करोड़ों में)

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	संस्वीकृति विवरण	संस्वीकृत विषय/ प्रयोजन	संस्वीकृत राशि
1.	नागालैण्ड	I-12020/5/2015- एनसीबी-II दिनांक 30.03.2015	मदें नामत: जेनरेटर, वाहन,परिवहन हेतु टाटा मोबाइल, मोटरसाईकल बुलटप्रूफ जैकेट तथा हेलमेट	0.59
2.	नागालैण्ड	I-45011/19/2012-एडी (सीडी) दिनांक 09.12.2014	देश में अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत उपकरणों के लिए	2.00
3.	नागालैण्ड	I-45011/13/2014-एडी (सीडी) दिनांक 31.07.2014	अति असुरक्षित जिलों में सिविल रक्षा साधनों का सृजन	1.54
4.	नागालैण्ड	VI-21011/58/2014- पीएम-I दिनांक 19.06.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	16.37
5.	झारखण्ड	VI-21011/58/2014- पीएम-I दिनांक 27.08.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	7.30
6.	झारखण्ड	VI-21011/58(ii)/2014- पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	7.77
7.	झारखण्ड	VI-21011/58(ii)/2014- पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	0.57
8.	झारखण्ड	VI-21011/58/2014- पीएम-I दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	14.03
9.	जे एण्ड के	I-45011/19/2012- एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	देश में अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उपकरणों के लिए	2.00
10.	जे एण्ड के	VI-21011/58/2014- पीएम-I दिनांक 19.06.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	60.81
11.	आंध्रप्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014- पीएम-I दिनांक	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	4.01

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	संस्वीकृति विवरण	संस्वीकृत विषय/ प्रयोजन	संस्वीकृत राशि
		31.03.2015		
12.	आंध्रप्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक31.01.2015	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	10.05
13.	आंध्रप्रदेश	I-45011/13/2014-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य अग्नि सेवाओं के लिए उपकरणों का प्रावधान	2.00
14.	आंध्रप्रदेश	VI-21011/58/2014-पीएम-I(भाग-IV) दिनांक 13.10.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	37.28
15.	हरियाणा	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	6.62
16.	हरियाणा	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	2.62
17.	हरियाणा	VI-21011/58/2014-पीएम-I दिनांक28.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	17.49
18.	तमिलनाडु	VI-21011/58(v)/2014-PM-I, दिनांक 29.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	28.61
19.	तमिलनाडु	VI-21011/58/2014-पीएम-I, दिनांक19.06.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	53.09
20.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/84(vi)/2014-पीएम-I दिनांक 17.03.2015	योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	1.90
21.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/84(xi)/2014-पीएम-I दिनांक17.03.2015	योजना शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	1.87
22.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	49.29
23.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-I दिनांक09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	11.71

क्रम. सं.	राज्य/यूटी	संस्वीकृति विवरण	संस्वीकृत विषय/ प्रयोजन	संस्वीकृत राशि
24.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/58/2014-पीएम-1 दिनांक 28.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	96.30
25.	उत्तराखण्ड	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-1 दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	0.62
26.	उत्तराखण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-1 दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	5.13
27.	उत्तराखण्ड	VI-21011/58/2014-पीएम-1 दिनांक 25.07.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	2.44
28.	बिहार	I-45011/19/2012-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	अग्नि तथा आपातकाल सेवा के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उपकरणों का प्रावधान	2.00
29.	बिहार	VI-21011/58/2014-पीएम-1 दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	42.10
30.	मेघालय	I-45011/19/2012-एडी(सीडी) दिनांक 09.12.2014	अग्नि तथा आपातकाल सेवाओं के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत उपकरणों का प्रावधान	2.00
31.	मेघालय	VI-21011/58(ii)/2014-पीएम-1 दिनांक 09.10.2014	योजनेत्तर कार्यकलापों के अंतर्गत उपकरणों की खरीद	0.83
32.	मेघालय	VI-21011/58/2014-पीएम-1 दिनांक 05.08.2014	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यकलाप	5.72
<b>योग</b>				<b>496.66</b>

### अनुबन्ध 5.1

(पैराग्राफ 5.5.8 (घ) के संदर्भ में)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	उपयोगिता प्रमाणपत्र की लम्बित कुल राशि (₹ लाख में )
1991-92	2	6.20
1992-93	7	81.36
1993-94	17	140.69
1994-95	21	135.36
1995-96	18	142.24
1996-97	10	129.43
1997-98	14	222.52
1998-99	30	284.56
1999-2000	21	230.39
2000-2001	40	380.23
2001-2002	39	1016.48
2002-2003	36	460.62
2003-2004	64	674.86
2004-2005	95	658.03
2005-2006	148	1773.35
2006-2007	130	1787.13
2007-2008	213	3510.87
2008-2009	213	2794.89
2009-2010	230	3407.68
2010-2011	182	3519.03
2011-2012	157	4074.15
2012-2013	121	5227.85
2013-2014	203	13856.20
<b>योग</b>	<b>2011</b>	<b>44514.12</b>

अनुबन्ध 5.2

(पैराग्राफ 5.5.17 के संदर्भ में)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	उपयोगिता प्रमाणपत्र की लम्बित कुल राशि (₹ लाख में )
1983-84	9	0.72
1984-85	12	11.28
1985-86	11	4.48
1986-87	8	6.45
1987-88	20	7.58
1988-89	25	84.48
1989-90	40	20.26
1990-91	24	75.28
1991-92	0	0.00
1992-93	9	174.71
1993-94	6	59.57
1994-95	7	32.51
1995-96	21	110.83
1996-97	24	30
1997-98	25	134.50
1998-99	17	195.92
1999-00	19	520.65
2000-01	13	42.42
2001-02	5	6.28
2002-03	8	10.40
2003-04	21	31.50
2004-05	18	431.82
2005-06	19	189.02
2006-07	14	362.65
2007-08	41	301.25
2008-09	32	788.10
2009-10	21	175.60
2010-11	76	432.06
2011-12	38	407.45
2012-13	25	271.24
2013-14	116	651.14
<b>योग</b>	<b>724</b>	<b>5570.15</b>